

**राजस्थान सरकार
वन विभाग**

क्रमांक प.1 (155)वन/2022

जयपुर, दिनांक :-

सहायक महानिरीक्षक
(एफसी डिवीजन) भारतसरकार
पर्यावरण, वन एवंजलवायुपरिवर्तनमंत्रालय
इंदिरापर्यावरणभवन, अलीगंज
जोरबागरोड, नईदिल्ली- 110003

विषय :-Diversification of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (plot no-01/2019) in Revenue Village- Danta, Tehsil- Pipalkhunt,Dist- Pratapgarh,Rajasthan, FP/RJ/MIN/142599/2021

सन्दर्भ :-आप द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 07.06.2023 के क्रम में महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संद्वर्भित प्रस्ताव के क्रम में निवेदन है कि 74.2490 है. वन भूमि के डायवर्जन हेतु आप द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 07.06.2023 में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार पूर्ति कर पालना रिपोर्ट अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 16 [Mining] /2021/एफ सी ए/प्रमु व स /7491 दिनांक 15.09.2023 द्वारा राज्य सरकार को भिजवाई गई है।

जो निम्नानुसार है :-

1. यूजर एजेन्सी द्वारा उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ द्वारा जारी डिमांड नोट के अनुसार निम्नानुसार मदवार राशि केम्पा फंड मे जमा करा दी गई है । जिसका सत्यापन किया जा चुका है।

क्रम संख्या	भारतसरकार की मात संख्या मय विवरण	मागराशि (रुपये)	जमा की गयीराशि (रुपये)	आन लाईनचालान संख्या एव दिनांक
1	2-VI (b) C.A. NFL -75 Ha.	1,53,65,270/-	1,53,65,270/-	58142599922 Dt 14-08-2023
2	2-VI (b) C.A. DFL -85 Ha.	1,49,54,518/-	1,49,54,518/-	
3	2-VIII NPV -74.249 Ha	7,11,14,507/-	7,11,14,507/-	
4	2-ix(c)Safety zone Regeneration in 3.237 Ha	2,42,775/-	2,42,775/-	
5	2-IX (d) Safety zone-1.5 times Afforestation in DFL 4.8555 say 5.00 Ha	8,25,000/-	8,25,000/-	
6	2-V – 6 feet boundary wall	92,96,250/-		

Signature valid

Digitally signed by Mohali Sen
Designation / Deputy Conservator
Of Forest

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी मन्सून भवन , जयपुर, राजस्थान जयपुर.

दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in Date: 2023/09/16 09:55:10 IST

RajKaj Ref No. : 4750214

Reason: Approved



NFL (habitation and agriculture fields)			
--	--	--	--

- 2 डायवर्जन हेतु प्रस्तावित 74.2490 है. वनभूमि के बदले तीन पेचेज में कुल 75 है0 गैर वन भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है तथा तीनों भूमियां रक्षित वन घोषित की जाकर राज्य पत्र में विज्ञप्तियों का प्रकाशन किया जा चुका है।
- 3 विभिन्न भातों की पालनार्थ यूजर एजेन्सी द्वाराकुल 22 वचन बधता पत्र [Undertakings] प्रस्तुत किये गये है जिन पर खनि. अभियन्ता एवं उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये गये है।
- 4 इसके अतिरिक्त यूजर एजेन्सी द्वारा समस्त शर्तों की पालना के कम में उप वन संरक्षक के निर्देश पर कमश रूपये 500 एवं 100 के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर पृथक से दो शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये है।
- 5 उप वन संरक्षक द्वारा अपने स्तर के बिन्दुओं की पालना कर ली गई है।
- 6 जिला कलक्टर द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत समस्त कार्यवाहिया पूर्ण करवा कर वांछित प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो समस्त प्रत्रादि के साथ संलग्न है।

अतः नोडल अधिकारी, एफसीएस द्वारा प्रस्तुत पालना रिपोर्ट से राज्य सरकार सहमत है।
अतः विस्तृत पालना रिपोर्ट मय संलग्नकों के प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण में आव यक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

भवदीया,

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी, वन

Signature valid

Digitally signed by Monali Sen
Designation Deputy Conservator
of Forest

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी क्षेत्रीय भवन, राजस्थान जयपुर, उत्तर प्रदेश

दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in Date: 2023/09/28 09:55:19 IST

RajKaj Ref No. : 4750214

Reason: Approved



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 16(Mining)2021/एफसीए/प्रमुखसं/ 7491

दिनांक 15/09/2023

विशेषाधिकारी,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय:- Diversion of 74.249 ha. of forest land for Open Cast Marble Mining in favour of RDSA LLP in Revenue Village-Danta, Tehsil-Pipalkhunth, Distt-Pratapgarh, Rajasthan.
(Proposal no. FP/RJ/MIN/142599/2021)

संदर्भ:- सहायक महानिरीक्षक/वन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-04/2023-एफसी दिनांक 07.06.2023

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर के पत्रांक 5299 दिनांक 29.08.2023 से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

Sr.No.	Condition	Compliance
I	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	Will be complied with
II	Embankment of sufficient height shall be constructed by the User Agency along the bank of the River Mahi so that the muck and waste does not enter into the river;	Embankment of sufficient height will be constructed by user agency along the bank of the River Mahi so that the muck and waste does not enter into the river. User agency has submitted an undertaking alsoin this regard which is enclosed herewith
III	A green belt along with this embankment should be raised for a width of 50 mtr at the cost of User Agency under supervision of the State Forest Department;	Green belt of 50 mtr width along this embankment will also be raisedby user agency under supervision of DCF office User agency has submitted an undertaking alsoin this regard which is enclosed herewith
IV	Muck will not be disposed on forest/charagah land outside the proposed diversion area;	It will be ensured the Muck is not disposed by user agency on forest/charagah land outside the proposed diversion area.User agency has submitted an undertaking alsoin this regard which is enclosed herewith
V	Six feet boundary wall shall be constructed along the boundary of the Non Forest Land(NFL) proposed for CA in all the three patches towards the habitation and agriculture fields to prevent encroachment at the cost of user agency;	A demand raised of Rs. 92,96,250/- Lacs was raised by DCF office for construction of 2775 Rmt.six feet high boundary wall along the boundary of all the three Non Forest Lands (NFL) proposed for CA towards habitation and agriculture fields to prevent encroachment. The amount is deposited by user agency in CAMPA fund vide challan application no. 58142599922 dated 14-08-2023 a copy of the same is enclosed herewith.

VI	<p>Compensatory Afforestation:</p> <p>a. The Compensatory afforestation over equivalent identified non-forest land of 75 ha. in three patches located in villages namely Amlikhora (16 ha), Miyala (13.50ha) ha) and Pahada (45.50 ha) located in Pratapgarh district of Rajasthan shall be raised by the State Forest Department at the cost of the User Agency. Since the identified non-forest land cannot Accommodate 1000 plants/ha, therefore balance seedlings shall be planted over identified 85 ha degraded forest land (DFL) in a single patch located under Sukad (R.F.),Dhawada Village, Chotisadri Tehsil under Pratapgarh District of Rajasthan as per the prescription of the Working Plan at the cost of the User Agency;</p> <p>b. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required on the CA land, shall be deposited in advance with the Forest Department by the user agency. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;</p> <p>c. The non-forest land identified for CA shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department and subsequently notified by the State Government as RF under Section - 4 or PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act before Stage-II approval. A copy of the Notification shall be submitted along with the compliance of Stage-I approval;</p>	<p>Compensatory Afforestation:</p> <p>a. The Compensatory afforestation over equivalent identified non-forest land of 75 ha. in three patches located in villages namely Amlikhora (16 ha), Miyala (13.50 ha) and Pahada (45.50 ha) located in Pratapgarh district of Rajasthan and 85 ha degraded forest land (DFL) in a single patch located under Sukad (R.F.),Dhawada Village, Chotisadri Tehsil under Pratapgarh District of Rajasthan will be raised by the Department at the cost of the User Agency for which as per the prepared CA scheme a demand of Rs. 153,65,270/- Lakh & Rs. 149,54,518 Lakh respectively was raised by this office. The amount is deposited by user agency in CAMPA fund vide challan application no. 58142599922 dated 14-08-2023.</p> <p>b. The cost of Rs. 153,65,270/- Lakh for compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme proposed by DCF office is deposited by user agency including cost of maintenance for 10 years in CAMPA fund vide challan application no. 58142599922 dated 14-08-2023 and the cost of survey, demarcation and erection of 182 number of permanent pillars on the CA land Rs. 20.02 Lacs is deposited by user agency with DCF office vide demand draft no 058454 dated 14-08-2023 a copy of the same is enclosed herewith.</p> <p>c. Copy of and Notification as PF copy enclosed.</p>
VII	<p>The KML files of diverted area and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage II approval;</p>	<p>The KML files of diverted area and the CA areas are uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details.</p>
VIII	<p>The User Agency shall transfer the funds towards the cost of Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal in accordance with the MoEF&CC's guidelines dated 6.01.2022 readwith guidelines dated 22.03.2022;</p>	<p>Details of Fund, as per receipt.</p>

IX	<p>Safety Zone Management: Following activities, at project cost, shall be undertaken by the user agency for the management of safety zone as per relevant guidelines issued by the Ministry:</p> <p>a. User agency shall ensure demarcation of safety zone (7.5 meter strip all along the inner boundary of the mining lease area), and its fencing, protection and regeneration by erecting adequate number of 6 feet high RCC boundary pillars inscribed with DGPS coordinates with barbed wire fencing and deploying adequate number of watchers under the supervision of the State Forest Department;</p> <p>b. Boundary of the safety zone of the mining lease, adjacent to habitation/roads, should be properly fenced by the user agency;</p> <p>c. Safety zone shall be maintained as green belt around mining lease and regeneration shall be taken up in this area by the user agency at project cost under the supervision of the State Forest Department;</p> <p>d. Afforestation on degraded forest land to be selected elsewhere, measuring one and a half times the area under safety zone, shall also be done at the project cost under the supervisions of the State Forest Department. The degraded forest land (DFL) so selected will be informed to the MoEF& CC with shape files before Stage-II approval and afforestation will be done within three years from the date of Stage-II clearance and maintained thereafter in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest Department; and</p> <p>e. The State Government and the user agency shall ensure that safety zone is maintained as per the prescribed norms;</p>	<p>Safety Zone Management:</p> <p>a. User agency will ensure demarcation of safety zone (7.5 meter strip all along the inner boundary of the mining lease area), and its fencing, protection and regeneration by erecting adequate number of 6 feet high RCC boundary pillars inscribed with DGPS coordinates with barbed wire fencing and adequate number of watchers will also be deployed under the supervision of the State Forest Department. User agency has submitted an undertaking alsoin DCF office regard which is enclosed herewith</p> <p>b. Boundary of the safety zone of the mining lease, adjacent to habitation/roads, will be properly fenced by user agency. An undertaking is also enclosed in this regard.</p> <p>c. Safety zone will be maintained as green belt around mining lease and regeneration will be taken up in this area by State Forest Department at project cost for which a demand of Rs. 2,42,775/- Lakh was raised by this office and amount is deposited by user agency in CAMPA fund vide challan application no. 58142599922 dated 14-08-2023.</p> <p>d. A degraded forest land of 4.885 Ha. (rounded off to 5.00 Ha.) measuring one and a half times the area under safety zone is selected, where afforestation will be done at the project cost and maintained thereafter in accordance with the approved Plan by State Forest Department for which as per demand raised by this office an amount of Rs. 8.25 Lacs is deposited by user agency in CAMPA fund vide challan application no. 58142599922 dated 14-08-2023. Information regarding selected DFL with shape file and maps is submitted separately in CD</p> <p>e. User agency under the guidance of State Government will ensure that safety zone is maintained as per the prescribed norms. User agency has submitted an undertaking also in this regard which is enclosed herewith</p>
X	<p>The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;</p>	<p>After getting final sanction the cost to be involved in felling of trees will be deposited by user agency with the State Forest Department. User agency has submitted an undertaking alsoin this regard which is enclosed herewith</p>

XI	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA account only through e-portal (Ittos://parivesh.nic.in/). Amount deposited through other modes will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance;	1. Funds under the project as per demand raised by DCF office towards CA, Additional CA, NPV, safety zone regeneration and construction of 6 ft. boundary wall in non-forest lands are deposited by user agency in CAMPA account through e-portal. Copy of challan already enclosed. 2. Funds for NFL boundary pillars is deposited with DCF, Pratapgarh as per demand raised by DCF office
XII	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;	Complete compliance of the FRA, 2006 is ensured and prescribed certificate issued by District Collector, Pratapgarh, already submitted online by DCF office in Part-II at additional document no. 16. Copy of the certificate is again submitted herewith.
XIII	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	The compliance report uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).
XIV	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	Payment of NPV already done and an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India is also enclosed herewith submitted by user agency
XV	Trees should be felled in phased manner as per the requirement in the approved Mining Plan with prior permission of concerned DFO;	Trees will be felled in phased manner as per the requirement in the approved Mining Plan and felling plan prepared with prior permission of DCF office. An undertaking is enclosed herewith submitted by user agency in this regard.
XVI	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	Although The strata of the area is rocky and translocation of trees will be difficult but after getting final approval. It will be ensured that explores all the possibilities of translocation of maximum number of trees. Tree felling will be done only when it is unavoidable under strict supervision of the State Forest Department. An undertaking is enclosed herewith submitted by user agency in this regard.

XVII	<p>The User Agency shall undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan shall be executed by the User Agency from the very first year, and an annual report on implementation there of shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, in the concerned State Government and the concerned Integrated Regional Office of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the concern Regional Officer (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, such reclamation activities are satisfactorily executed;</p>	<p>It will be ensured that the departmental level that user agency undertakes mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined out area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan will also be strictly executed by user agency and annual report on implementation there of will be regularly submitted to the Nodal Officer and Integrated Regional Office of the Ministry.</p> <p>An undertaking is enclosed herewith submitted by user agency in this regard.</p>
XVIII	<p>The User Agency shall comply with the Hon'ble Supreme Court order on re-grassing, and re-grass the mining area and any other areas which may have been disturbed due to mining to restore them to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna, etc. in a timely manner;</p>	<p>It will be ensured that the user agency complies with the Hon'ble Supreme Court order on re-grassing, and re-grass the mining area and areas disturbed due to mining to restore them to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna, etc. in a timely manner.</p> <p>An undertaking is enclosed herewith submitted by user agency in this regard.</p>
XIX	<p>Period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period co-terminus with the period of the mining lease proposed to be granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as amended and the Rules framed there-under;</p>	<p>Will be complied undertaking for this purpose submitted by UA</p>
XX	<p>The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;</p>	<p>User agency has already applied to the competent authority to obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 which is in progress.</p>
XXI	<p>No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;</p>	<p>It will be ensured that no labour camp is established by user agency on the forest land and user agency provides fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site.</p> <p>An undertaking is enclosed herewith submitted by user agency in this regard.</p>

XXII	The layout plan of the mining plan/ proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government and the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	It will be ensured that layout plan of the mining plan is not changed by user agency without prior approval of the Central Government and the forest land is not used for any purpose other than specified in the proposal. An undertaking is enclosed herewith submitted by user agency in this regard.
XXIII	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	It will be ensured that the forest land proposed to be diverted under no circumstances is transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government. An undertaking is enclosed herewith submitted by user agency in this regard.
XXIV	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	It will be ensured that no damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused. An undertaking is enclosed herewith submitted by user agency in this regard.
XXV	The User Agency shall submit the annual self -compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	User agency has ensured to submit the annual self -compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to the Ministry by the end of March every year regularly. An undertaking is enclosed herewith submitted by user agency in this regard.
XXVI	Any other condition that the concerned Integrated Regional Office of this Ministry may stipulate, with prior approval of competent authority, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	The user agency has submitted an undertaking for the compliance in this regard which is enclosed herewith .
XXVII	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT. Order (s), pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project; and	The user agency has submitted an undertaking for the compliance in this regard which is enclosed herewith .

xxviii	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	It will be ensured that no violation any of these conditions or any other provision of of FCA is done by user agency An undertaking is enclosed herewith submitted by user agency in this regard.
--------	---	--

अतः अनुपालना रिपोर्ट का एक सैट में प्रेषित कर निवेदन है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अग्रिम कार्यवाही करावें।
संलग्न:-उक्तानुसार एक सैट।

भवदीया,

Sh. rch
(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 16(Mining)2021 / एफसीए / प्रमुवसं /

दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
2. उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़।
3. अतिरिक्त निदेशक (खान) सतर्कता, पर्यावरण एवं विकास, नोडल अधिकारी वन मामलात, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, खनिज भवन, उदयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, RDSA Mining LTD A-404 अमर विलास अपार्टमेंट उदयपुर।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर



राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर
वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no. 0294-2418137

क्रमांक एफ 5 (38/Mining/एफसीए./मुवसं/2023-24/ 5299) निमित्त,

दिनांक :- 29.8.2023

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land In Favour Of RDSA MINING
LLP For Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta,
Tehsil- Pipalkhunt, District - Pratapgarh,
Rajasthan . (Proposal no. FP/RJ/MIN/142599/2021).

संदर्भ :- आपका पत्रांक 6318 दिनांक 13.06.2023 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि विशयांकित वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में सहायक महानिरीक्षक/वन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-04/2023-एफसी दिनांक 07.06.2023 से 74.2490 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालना प्रतिवेदन एवं वांछित वचनबद्धता-पत्र प्रयोक्ता विभाग द्वारा करवाई जाकर उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा उनके पत्रांक एफ/तक./उवसं/2021-22/दिनांक 4717 दिनांक 18.08.2023 से इस कार्यालय को प्रस्तुत की है। तदनुसार पालना प्रतिवेदन इस कार्यालय की सहमति के साथ मूल ही दो प्रतियों में मय सी.डी. के संलग्न कर निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

No.	Condition	Compliance
I	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	Will be complied with
II	Embankment of sufficient height shall be constructed by the User Agency along the bank of the River Mahi so that the muck and waste does not enter into the river;	Embankment of sufficient height will be constructed by user agency along the bank of the River Mahi so that the muck and waste does not enter into the river. User agency has submitted an undertaking alsoin this regard which is enclosed herewith
III	A green belt along with this embankment should be raised for a width of 50 mtr at the cost of User Agency under supervision of the State Forest Department;	Green belt of 50 mtr width along this embankment will also be raisedby user agency under supervision of DCF office User agency has submitted an undertaking alsoin this regard which is enclosed herewith
IV	Muck will not be disposed on forest/charagah land outside the proposed diversion area;	It will be ensured the Muck is not disposed by user agency on forest/charagah land outside the proposed diversion area. User agency has submitted an undertaking alsoin this regard which is enclosed herewith
V	Six feet boundary wall shall be constructed along the boundary of the Non Forest Land(NFL) proposed for CA in all the three patches towards the habitation and agriculture fields to prevent encroachment at the cost of user agency;	A demand raised of Rs. 92.96250 Lacs was raised by DCF office for construction of 2775 Boundary wall along the boundary of all the three Forest Lands (NFL) towards habitation and agriculture fields. The amount is provided by user agency in application no. 142599/2021 dated 14-08-2023 a copy of the same is enclosed herewith.

Rajkaj Ref No : 4621324



MMY
31/8

2460
31-08-2023

4/C

6318

VI	<p>Compensatory Afforestation:</p> <p>a. The Compensatory afforestation over equivalent identified non-forest land of 75 ha. in three patches located in villages namely Amlikhora (16 ha), Miyala (13.50ha) and Pahada (45.50 ha) located in Pratapgarh district of Rajasthan shall be raised by the State Forest Department at the cost of the User Agency. Since the identified non-forest land cannot Accommodate 1000 plants/ha, therefore balance seedlings shall be planted over identified 85 ha degraded forest land (DFL) in a single patch located under Sukad (R.F.),Dhawada Village, Chotisadri Tehsil under Pratapgarh District of Rajasthan as per the prescription of the Working Plan at the cost of the User Agency;</p> <p>b. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required on the CA land, shall be deposited in advance with the Forest Department by the user agency. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;</p> <p>c. The non-forest land identified for CA shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department and subsequently notified by the State Government as RF under Section - 4 or PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act before Stage-II approval. A copy of the Notification shall be submitted along with the compliance of Stage-I approval;</p>	<p>Compensatory Afforestation:</p> <p>a. The Compensatory afforestation over equivalent identified non-forest land of 75 ha. in three patches located in villages namely Amlikhora (16 ha), Miyala (13.50 ha) and Pahada (45.50 ha) located in Pratapgarh district of Rajasthan and 85 ha degraded forest land (DFL) in a single patch located under Sukad (R.F.),Dhawada Village, Chotisadri Tehsil under Pratapgarh District of Rajasthan will be raised by the Department at the cost of the User Agency for which as per the prepared CA scheme a demand of Rs. 153.65270 Lacs & Rs. 149.54518Lacs respectively was raised by this office. The amount is deposited by user agency in CAMPA fund vide challan application no. 58142599922 dated 14-08-2023.</p> <p>b. The cost of Rs. 153.65270 Lacs for compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme proposed by DCF office is deposited by user agency including cost of maintenance for 10 years in CAMPA fund vide challan application no. 58142599922 dated 14-08-2023 and the cost of survey, demarcation and erection of 182 number of permanent pillars on the CA land Rs. 20.02 Lacs is deposited by user agency with DCF office vide demand draft no 058454 dated 14-08-2023 a copy of the same is enclosed herewith.</p> <p>c. All the three non-forest lands identified for CA are already transferred and mutated in favour of the State Forest Department proposals for notification to declare these three lands as PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927. Already prepared and submitted by this office vide letter no.4137 dated 21/07/2023 and recommended by this office vide letter no.4710 dated 01/08/2023</p>
VII	The KML files of diverted area and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage II approval;	The KML files of diverted area and the CA areas are uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details.
VIII	The User Agency shall transfer the funds towards the cost of Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal in accordance with the MoEF&CC's guidelines dated 6.01.2022 read with guidelines dated 22.03.2022;	Transfer of funds of Rs. 711.14507Lacs towards the cost of Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal in accordance with the MoEF&CC's guidelines as per demand raised by DCF office is done by user agency in CAMPA fund vide challan application no. 5814259992 dated 14-08-2023
IX	<p>Safety Zone Management: Following activities, at project cost, shall be undertaken by the user agency for the management of safety zone as per relevant guidelines issued by the Ministry:</p> <p>a. User agency shall ensure demarcation of safety zone (7.5 meter strip all along the inner boundary of the mining lease area), and its fencing, protection and regeneration by erecting adequate number of 6 feet high RCC boundary pillars inscribed with DGPS coordinates with barbed wire fencing and deploying adequate number of watchers under the supervision of the State Forest</p>	<p>Safety Zone Management:</p> <p>a. User agency will ensure demarcation of safety zone (7.5 meter strip all along the inner boundary of the mining lease area), and its fencing, protection and regeneration by erecting adequate number of 6 feet high RCC boundary pillars inscribed with DGPS coordinates with barbed wire fencing and adequate number of watchers will also be deployed. The State Forest Department has submitted a proposal to the State Government for approval of the safety zone of the mining lease, adjacent to habitation/roads, will be</p> <p>Signature Valid Digitally signed by Rajkaj Singh, the State Designation Officer, Conservator of Forests, Pratapgarh District, Rajasthan. Date: 2023.08.29 17:53:53 +05'30'</p> <p>Reason: Approved</p>

Rajkaj Ref No. : 4621524



	<p>Department;</p> <p>b. Boundary of the safety zone of the mining lease, adjacent to habitation/roads, should be properly fenced by the user agency;</p> <p>c. Safety zone shall be maintained as green belt around mining lease and regeneration shall be taken up in this area by the user agency at project cost under the supervision of the State Forest Department;</p> <p>d. Afforestation on degraded forest land to be selected elsewhere, measuring one and a half times the area under safety zone, shall also be done at the project cost under the supervisions of the State Forest Department. The degraded forest land (DFL) so selected will be informed to the MoEF& CC with shape files before Stage-II approval and afforestation will be done within three years from the date of Stage-II clearance and maintained thereafter in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest Department; and</p> <p>e. The State Government and the user agency shall ensure that safety zone is maintained as per the prescribed norms;</p>	<p>properly fenced by user agency. An undertaking is also enclosed in this regard.</p> <p>c. Safety zone will be maintained as green belt around mining lease and regeneration will be taken up in this area by State Forest Department at project cost for which a demand of Rs. 2.42775 Lacs was raised by this office and amount is deposited by user agency in CAMPA fund vide challan application no. 58142599922 dated 14-08-2023.</p> <p>d. A degraded forest land of 4.885 Ha. (rounded off to 5.00 Ha.) measuring one and a half times the area under safety zone is selected, where afforestation will be done at the project cost and maintained thereafter in accordance with the approved Plan by State Forest Department for which as per demand raised by this office an amount of Rs. 8.25 Lacs is deposited by user agency in CAMPA fund vide challan application no. 58142599922 dated 14-08-2023. Information regarding selected DFL with shape file and maps is submitted separately in CD</p> <p>e. User agency under the guidance of State Government will ensure that safety zone is maintained as per the prescribed norms. User agency has submitted an undertaking also in this regard which is enclosed herewith</p>
X	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	After getting final sanction the cost to be involved in felling of trees will be deposited by user agency with the State Forest Department. User agency has submitted an undertaking also in this regard which is enclosed herewith
XI	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA account only through e-portal (https://parivesh.nic.in/). Amount deposited through other modes will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance;	1. Funds under the project as per demand raised by DCF office towards CA, Additional CA, NPV, safety zone regeneration and construction of 6 ft. boundary wall in non-forest lands are deposited by user agency in CAMPA account through e-portal. Copy of challan already enclosed. 2. Funds for NFL boundary pillars is deposited with DCF, Pratapgarh as per demand raised by DCF office
XII	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;	Complete compliance of the FRA, 2006 is ensured and prescribed certificate issued by District Collector, Pratapgarh already submitted online by DCF office in Part-II at additional document no. 16. Copy of the certificate is again submitted herewith.
XIII	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	The compliance report uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).
XIV	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	Payment of NPV already done and an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India is also enclosed herewith submitted by user agency
XV	Trees should be felled in phased manner as per the requirement in the approved Mining Plan with prior permission of concerned DFO;	Trees will be felled in phased manner as per the requirement in the approved Mining Plan and felling plan prepared with prior permission of DCF Digitally signed by Raj Kumar Singh Designation: Chief Conservator of Forests User Agency in Pratapgarh. Date: 2023.08.29 10:53:58 IST
XVI	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any	Translocation of trees is rocky and therefore approved will be difficult but after getting final approval.

RajKaj Ref No.





	tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	It will be ensured that explores all the possibilities of translocation of maximum number of trees. Tree felling will be done only when it is unavoidable under strict supervision of the State Forest Department. An undertaking is enclosed herewith submitted by user agency in this regard.
XVII	The User Agency shall undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan shall be executed by the User Agency from the very first year, and an annual report on implementation there of shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, in the concerned State Government and the concerned Integrated Regional Office of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the concern Regional Officer (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, such reclamation activities are satisfactorily executed;	It will be ensured that the departmental level that user agency undertakes mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined out area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan will also be strictly executed by user agency and annual report on implementation there of will be regularly submitted to the Nodal Officer and Integrated Regional Office of the Ministry. An undertaking is enclosed herewith submitted by user agency in this regard.
XVIII	The User Agency shall comply with the Hon'ble Supreme Court order on re-grassing, and re-grass the mining area and any other areas which may have been disturbed due to mining to restore them to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna, etc. in a timely manner;	It will be ensured that the user agency complies with the Hon'ble Supreme Court order on re-grassing, and re-grass the mining area and areas disturbed due to mining to restore them to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna, etc. in a timely manner. An undertaking is enclosed herewith submitted by user agency in this regard.
XIX	Period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period co-terminus with the period of the mining lease proposed to be granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as amended and the Rules framed there-under;	Will be complied with
XX	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	User agency has already applied to the competent authority to obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 which is in progress.
XXI	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	It will be ensured that no labour camp is established by user agency on the forest land and user agency provides fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site. An undertaking is enclosed herewith submitted by user agency in this regard.
XXII	The layout plan of the mining plan/ proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government and the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	It will be ensured that layout plan of the mining plan is not changed by user agency without prior approval of the Central Government and the forest land is not used for any purpose other than specified in the proposal. An undertaking is enclosed herewith submitted by user agency in this regard.
XXIII	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	It will be ensured that the forest land proposed to be diverted under no circumstances is transferred to any other agency, department or person. An undertaking is enclosed herewith submitted by user agency in this regard.
XXIV	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	It will be ensured that the flora and fauna of the adjoining area will be caused. An undertaking is enclosed herewith submitted by

Raj Ref No. 462/152

Signature valid
Digitally signed by Raj Kumar Singh
Designation: Chief Conservator of
Forests

Date: 2023.09.29 17:53:59
Reason: Approved



XXV	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	user agency in this regard. User agency has ensured to submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to the Ministry by the end of March every year regularly. An undertaking is enclosed herewith submitted by user agency in this regard.
XXVI	Any other condition that the concerned Integrated Regional Office of this Ministry may stipulate, with prior approval of competent authority, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	The user agency has submitted an undertaking for the compliance in this regard which is enclosed herewith.
XXVII	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT. Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project; and	The user agency has submitted an undertaking for the compliance in this regard which is enclosed herewith.
XXVIII	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	It will be ensured that no violation any of these conditions or any other provision of of FCA is done by user agency An undertaking is enclosed herewith submitted by user agency in this regard.

सलग्न:- उपरोक्तानुसार। (दो प्रतियो में मय सी.डी. के)

भवदीय,

(आर.के.सिंह)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।
दिनांक :-

क्रमांक एफ 5 (38/Mining/एफसीए./मुवसं/2023-24/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1-उप वन संरक्षक, प्रतापगढ को उनके पत्रांक 4717 दिनांक 18.08.2023 के क्रम में।

2-अतिरिक्त निदेशक (खान) सतर्कता, पर्यावरण एवं विकास, नोडल अधिकारी वन मामलात, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, खनिज भवन, उदयपुर।

3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, RDSA Mining LTD A-404, अमर विलास अपार्टमेंट, उदयपुर।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Raj Kumar Singh
Designation: Chief Conservator Of
Forest

Date: 2023.08.29 17:53:58 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4621324





सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 15, बुधवार, शाके 1945-सितम्बर 06, 2023
Bhadra 15, Wednesday, Saka 1945- September 06, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 29, 2023

संख्या प. 2(24)वन/2023 :-चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में बतलाई गई वनभूमि अथवा बंजरभूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वनउपज या उसके किसी भाग की हकदार हैं। और चूंकि सरकार पंचायत भूमि और बंजरभूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है:

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम, संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्वारा, वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन, जहाँ तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा:

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाए गए कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि

को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,

शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण	
					खसरा नम्बर	रकबा हे० में
1	2	3	4	5	6	
1	उपलाकोट रेंज- धरियावद	धरियावद	प्रतापगढ़	ग्राम-पहाडा	2257/964	4.2092
					2258/964	5.4435
					2255/1457	5.9120
					2252/1457	9.9846
					2248/2070	19.9507
					योग	45.5 हेक्टर
<p>उत्तर:- गैर वन भूमि खसरा नम्बर: 964 एवं 1457</p> <p>पूर्व :- गैर वन भूमि खसरा नम्बर: 964,2070 एवं खातेदारी भूमि 2070/2, 2070/3, 2070/5, 2070/6 एवं 2070/16</p> <p>दक्षिण:- गैर वन भूमि खसरा नम्बर: 2070,2070/7 एवं 2070/17</p> <p>पश्चिम:- गैर वन भूमि खसरा नम्बर: 964 एवं 1457</p>						

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)

उप वन संरक्षक,

प्रतापगढ़

द्वितीय अनुसूची

वनखण्ड - उपलाकोट
 रेंज - धरियावद
 वन मण्डल - प्रतापगढ़

ग्राम - पहाडा
 तहसील - धरियावद
 जिला - प्रतापगढ़

क्र.सं.	नाम प्रजाति (स्थानीय)	नाम प्रजाति (बोटैनिकल)
1	सागवान	<i>Tectona grandis</i> Linn.
2	तैदू/टिमरू	<i>Diospyros melanoxylon</i> Roxb.
3	कसोद	<i>Cassia siamea</i> Linn
4	आंवल छाल	<i>Cassia auriculata</i>
5	शीषम	<i>Dalbergia sissoo</i> Roxb.
6	बांस	<i>Dendrocalamus strictus</i>
7	चुरेल	<i>Holoptelea integrifolia</i> Planch
8	आंवला	<i>Emblica officinalis</i> Gaerth
9	नीम	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.
10	ईमली	<i>Tamarindus indica</i> Linn.
11	करंज	<i>Pongamia pinnata</i> Linn.
12	बैर	<i>Zizyphus oenoplia</i>
13	बहेड़ा	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaerth) Roxb.
14	ढाक	<i>Butea monosperma</i>

क्षेत्रीय वन अधिकारी
 धरियावद

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)
 उप वन संरक्षक,
 प्रतापगढ़

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र
(जो लागू नहीं होता है उसे काट दे)

वनखण्ड - उपलाकोट ग्राम - पहाडा
रेंज - धरियावद तहसील - धरियावद
वन मण्डल - प्रतापगढ़ जिला - प्रतापगढ़

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण मगरी पायती है उक्त भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रत्यावर्तन प्रकरण Open cast marble mining कार्य हेतु जिला/वनमंडल प्रतापगढ़ में कुल 74.249 हे० वनभूमि प्रत्यावर्तन (आन लाईन आवेदन संख्या- FP/RJ/MIN/142599/2021) के प्रकरण में क्षतिपुरक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि का आवंटन जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक राजस्व/भू.आ/प्रत्यावर्तन/2022-23/2535-45 दिनांक 17.08.2022 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया गया। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरो का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा विकास कार्य कराया जाना है। इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है। क्षेत्र को रक्षित वन घोषित कराना प्रस्तावित है।
3. वर्तमान में 45.50 है। भूमि पर प्लान्टेशन एवं अन्य विकास कार्य कराये जाने है इनमें कोई खनन कार्य नहीं हुए है। भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।
4. भूमि पर वृक्षों का धनत्व कुछ क्षेत्र में औसतन 0.3 है तथा कुछ क्षेत्र में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियां सागवान, तेंदु, ढाक, कसोद, बांस, आवला, चुरेल, शीशम, नीम इत्यादि प्राकृतिक रूप से विद्यमान है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र राजस्व बंजर (राजस्व बंजर/चरागाह/खातेदारी/वन)- भूमि है तथा चारो ओर की सीमाओ का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम 5 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओ, सीमाओ एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को राजस्व नक्शे में लाल स्याही से

इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र की जी.टी. शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।


7. प्रस्तावित क्षेत्रों की विजप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे हैं किन्तु अब उल्लेखित वनक्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट का प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिसके कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।

8. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
देवगढ़

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।


(उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
राजस्थान, जयपुर)



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 15, बुधवार, शके 1945-सितम्बर 06, 2023
Bhadra 15, Wednesday, Saka 1945- September 06, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 29, 2023

संख्या प. 2(24)वन/2023 :-चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में बतलाई गई वनभूमि अथवा बंजरभूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वनउपज या उसके किसी भाग की हकदार हैं। और चूंकि सरकार पंचायत भूमि और बंजरभूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है:

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम, संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्वारा, वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन, जहाँ तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा:

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाए गए कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर

निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,

शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

सं ख्या	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण	
					खसरा नम्बर	रकबा हे० में
1	2	3	4	5	6	
1	मियाला रेंज- धरियावद	धरियावद	प्रतापगढ़	ग्राम-मियाला	142/10	13.50 हे.
				उत्तर:- खसरा नम्बर: 10/1 ग्राम मियाला पूर्व :- खसरा नम्बर: 10 ग्राम मियाला दक्षिण:- खसरा नम्बर: 10/37,10/39 एवं ग्राम मियाला पश्चिम:- खसरा नम्बर: 10 ग्राम मियाला		

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)

उप वन संरक्षक,

प्रतापगढ़

द्वितीय अनुसूची

वनखण्ड - पहाडा ग्राम - पहाडा
 रेंज - धरियावद तहसील - धरियावद
 वन मण्डल - प्रतापगढ़ जिला - प्रतापगढ़

क्र.सं.	नाम प्रजाति (स्थानीय)	नाम प्रजाति (बोटैनिकल)
1	सागवान	<i>Tectona grandis</i> Linn.
2	तेंदू/टिमरू	<i>Diospyros melanoxylon</i> Roxb.
3	आंकडिया	<i>Holorrhena antidysenterica</i>
4	चुरेल	<i>Holoptelea integrifolia</i> Planch
5	आंवला	<i>Emblica officinalis</i> Gaerth
6	नीम	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.
7	ईमली	<i>Tamarindus indica</i> Linn.
8	करंज	<i>Pongamia pinnata</i> Linn.
9	बैर	<i>Zizyphus oenoplia</i>
10	ढाक	<i>Butea monosperma</i>

क्षेत्रीय वन अधिकारी
 धरियावद

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)

उप वन संरक्षक,
 प्रतापगढ़

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र

(जो लागू नहीं होता है उसे काट दे)

वनखण्ड - मियाला	ग्राम - मियाला
रेंज - धरियावद	तहसील - धरियावद
वन मण्डल - प्रतापगढ़	जिला - प्रतापगढ़


1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण मगरी पायती है उक्त भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रत्यावर्तन प्रकरण Open cast marble mining कार्य हेतु जिला/वनमंडल प्रतापगढ़ में कुल 74.249 हे० वनभूमि प्रत्यावर्तन (आन लाईन आवेदन संख्या- FP/RJ/MIN/142599/2021) के प्रकरण में क्षतिपुरक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि का आवंटन जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक राजस्व/भू.आ/प्रत्यावर्तन/2022-23/2535-45 दिनांक 17.08.2022 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया गया। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरो का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा विकास कार्य कराया जाना है। इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है। क्षेत्र को रक्षित वन घोषित कराना प्रस्तावित है।
3. वर्तमान में 13.50 है। भूमि पर प्लान्टेशन एवं अन्य विकास कार्य कराये जाने हैं इनमें कोई खनन कार्य नहीं हुए है। भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।
4. भूमि पर वृक्षों का धनत्व कुछ क्षेत्र में औसतन 0.3 है तथा कुछ क्षेत्र में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियां सागवान, तेंदु, टाक, कसोद, बांस, आवला, चुरेल, शीशम, नीम इत्यादि प्राकृतिक रूप से विद्यमान है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र राजस्व बंजर (राजस्व बंजर/चरागाह/खातेदारी/वन)- भूमि है तथा चारो ओर की सीमाओ का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम 5 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओ, सीमाओ एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को राजस्व नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र की जी.टी. शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

7. प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे हैं किन्तु अब उल्लेखित वनक्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट का प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिसके कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
धरियावद

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।


(निदेश संरक्षक (एफ.सी.ए.)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
राजस्थान, जयपुर



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 15, बुधवार, शाके 1945-सितम्बर 06, 2023
Bhadra 15, Wednesday, Saka 1945- September 06, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 29, 2023

संख्या प. 2(24)वन/2023 :-चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में बतलाई गई वनभूमि अथवा बंजरभूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वनउपज या उसके किसी भाग की हकदार हैं। और चूंकि सरकार पंचायत भूमि और बंजरभूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है:

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम, संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्वारा, वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन, जहाँ तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा:

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाए गए कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर

निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,

शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण	
					खसरा नम्बर	रकबा हे० में
1	2	3	4	5	6	
1	आमलीखोरा रैज-देवगढ़	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	ग्राम- आमलीखोरा	453/88	7.0200 हे.
					454/88	1.4600 हे.
					455/88	0.0300 हे.
					457/89	6.6500 हे.
					458/89	0.4500 हे.
					461/439	0.3900 हे.
					योग	16.00 हेक्टर
					उत्तर:- कृषि भूमि खसरा नम्बर 88/547,88/552,88/556 पूर्व :- गैर वन भूमि मौजा आमलीखोरा खसरा नं. 89 दक्षिण:- गैर वन भूमि मौजा आमलीखोरा खसरा नम्बर 83 एवं 88, कृषि भूमि खसरा नम्बर 130 ,89/520 मौजा आमलीखोरा पश्चिम:- गैर वन भूमि मौजा आमलीखोरा खसरा नम्बर 84 एवं 88,	

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)

उप वन संरक्षक,

प्रतापगढ़

द्वितीय अनुसूची

वनखण्ड - आमलीखोरा ग्राम - आमलीखोरा
 रेंज - देवगढ़ तहसील - प्रतापगढ़
 वन मण्डल - प्रतापगढ़ जिला - प्रतापगढ़

क्र.सं.	नाम प्रजाति (स्थानीय)	नाम प्रजाति (बोटैनिकल)
1	सागवान	Tectona grandis Linn.
2	तैदू/टिमरू	Diospyros melanoxylon Roxb.
3	कसोद	Cassia siamea Linn
4	आंवल छाल	Cassia auriculata
5	शीषम	Dalbergia sissoo Roxb.
6	बांस	Dendrocalamus strictus
7	चुरेल	Holoptelea integrifolia Planch
8	आंवला	Emblica officinalis Gaerth
9	नीम	Azadirachta indica A.Juss.
10	ईमली	Tamarindus indica Linn.
11	करंज	Pongamia pinnata Linn.
12	बैर	Zizyphus oenoplia
13	बहेड़ा	Terminalia bellirica (Gaerth) Roxb.
14	ढाक	Butea monosperma

क्षेत्रीय वन अधिकारी
 धरियावद

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)

उप वन संरक्षक,
 प्रतापगढ़

7. प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे हैं किन्तु अब उल्लेखित वनक्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट का प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिसके कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
देवगढ़

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

(विलेक इमान गान्गुली)
उप वन संरक्षक (भा.व.से.)
राजस्थान, जयपुर

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

- To be Verified** : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
- Verified** : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.
- Unpaid** : This icon shows that the payment yet to be made.
- Challan Generated** : This icon shows that the challan has been generated.
- Paid** : This icon shows that the payment has been made.

Proposals received on or after 15th July 2014 All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Jaipur Select State : Rajasthan

Select User Agency : Select

Payment Status : Paid Unpaid All

Bank Name : --Select All-- Mode of Payment : --Select All--

Transaction Date (From) : Transaction Date (To) :

Enter value for Search : 142599

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/MIN/142599/2021 (/viewreport.aspx?pid=FP/RJ/MIN/142599/2021) Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land In Favour Of RDSA MINING LLP For Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan	MINI42599202192207	07 Jun 2023	CA: 15365270/- Addl CA : 14954518/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 242775/-, Addl PA : 0/- NPV: 71114507/- of 825000/- Construction of Boundary 9296250/- Wall : Total : 111798320/-	<input checked="" type="checkbox"/> Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 14 Aug 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 14 Aug 2023 Transaction Date 14 Aug 2023	Demand Letter (/writereaddata/Fundpdf/090820231816013292_FPRJMIN1425992021_User_Fund) Generated Challan (/UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=MINI42599202192207)

Verified

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)
 (HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)
 (HTTPS://DATA.GOV.IN/)
 (HTTPS://INDIA.GOV.IN/)
 (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)
 (HTTP://WWW.MEITY.GOV.IN/)
 (HTTPS://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)
 (HTTP://WWW.NIC.IN/)



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".


Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION – I OF IN - PRINCIPLE APPROVAL


I Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, **RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that Legal status of the forest land will remain unchanged.

RDSA MINING LLP

(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency
Office Seal


खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

२.५
३ २
उप यन संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - XIX OF IN - PRINCIPLE APPROVAL

I Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, **RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that the period of diversion of the said forest land under this approval will be for a period of co-terminus with the period of the mining lease granted under the Mines and Minerals (Development & Regulating) Act, 1957, as amended and the Rules framed there-under.

RDSA MINING LLP

(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

खनि अविभाज्यता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency
Office Seal

e.s

उप वन संरक्षक

(The LLP is Registered with Limited Liability)

RDSA MINING LLP

LLPIN : AAE - 1008



RDSA/MINES/2023-24/27

Dated-16.08.2023

To

The Deputy Conservator of Forests,
Pratapgarh, Rajasthan

Subject: - Submission of compliance of the ***In-Principle/Stage-I*** approval for diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in favour of RDSA MINING LLP for opencast Marble Mining in Revenue Village – Danta, Tehsil – Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan. Online Proposal No. – FP/RJ/MIN/142599/2021

Ref: - ***In-Principle/Stage-I*** approval of the Government of India, MOEF&CC (Forest Conservation Division), Indira Paryavarn Bhawan, New Delhi **dated 07-06-2023**.

Dear Sir,


With reference to above subject, we are submitting herewith the detailed compliance report of the ***In-Principle/Stage-I*** approval for diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in favour of RDSA MINING LLP for opencast Marble Mining in Revenue Village – Danta, Tehsil – Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan (Online Proposal No. – FP/RJ/MIN/142599/2021) issued by the Government of India, MOEF&CC (Forest Conservation Division), Indira Paryavarn Bhawan, New Delhi **dated 07-06-2023**.

You are requested to kindly forward it for further action after due examination and necessary action from your office for issuance of final/Stage-II approval please.

Enclosed: - Detailed compliance report with annexures.

Thanking You with Regards,

For RDSA MINING LLP


V.K. Ghiya
(Chief Executive Officer)

RDSA MINING LLP


(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

(The LLP is Registered with Limited Liability)

Regd. Office : Patni Sadan, Teli Mohalla, Madanganj - Kishangarh - 305801, Dist. - Ajmer (Raj.) India
Branch Office : A-404, Amar Vilas Apartment, Opp. New R.T.O. Office, Udaipur - 313004 (Raj.) India

Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in favour of RDSA MINING LLP for opencast Marble Mining in Revenue Village – Danta, Tehsil – Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan.

Online Proposal No. – FP/RJ/MIN/142599/2021


Compliance of the *In-Principle/Stage-I* approval of the Government of India, MOEF&CC (Forest Conservation Division), Indira Paryavarn Bhawan, New Delhi dated 07-06-2023


No.	Condition	Compliance
I	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	Will be complied with
II	Embankment of sufficient height shall be constructed by the User Agency along the bank of the River Mahi so that the muck and waste does not enter into the river;	Embankment of sufficient height will be constructed by us along the bank of the River Mahi so that the muck and waste does not enter into the river An undertaking is enclosed herewith in this regard.
III	A green belt along with this embankment should be raised for a width of 50 mtr at the cost of User Agency under supervision of the State Forest Department;	Green belt of 50 mtr width along this embankment will be raised by us under supervision of the State Forest Department. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
IV	Muck will not be disposed on forest/charagah land outside the proposed diversion area;	Muck will not be disposed by us on forest/charagah land outside the proposed diversion area. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
V	Six feet boundary wall shall be constructed along the boundary of the Non Forest Land(NFL) proposed for CA in all the three patches towards the habitation and agriculture fields to prevent encroachment at the cost of user agency;	As per demand raised by DCF, Pratapgarh Cost of Rs. 92.96250 Lacs for construction of six feet boundary wall along the boundary of all the three Non Forest Lands (NFL) proposed for CA towards habitation and agriculture fields to prevent encroachment is deposited in CAMPA, Fund vide challan application no. 58142599922 dated 14-08-2023 a copy of the same is enclosed herewith.
VI	Compensatory Afforestation: a. The Compensatory afforestation over equivalent identified non-forest land of 75 ha. in three patches located in villages namely Amlikhora (16 ha), Miyala (13.50 ha) and Pahada (45.50 ha) located in Pratapgarh district of Rajasthan shall be raised by the State Forest Department at the cost of the User Agency. Since the identified non-forest land cannot Accommodate 1000	Compensatory Afforestation: a. The Compensatory afforestation over equivalent identified non-forest land of 75 ha. in three patches located in villages namely Amlikhora (16 ha), Miyala (13.50 ha) and Pahada (45.50 ha) located in Pratapgarh district of Rajasthan and 85 ha degraded forest land (DFL) in a single patch located under Sukad (R.F.), Dhawada Village, Chotisadri Tehsil under Pratapgarh

C.S.
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

16/8/2023 खनि अभियन्ता RDSA MINING LLP
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)
(V.K. GHIYA)

	<p>plants/ha, therefore balance seedlings shall be planted over identified 85 ha degraded forest land (DFL) in a single patch located under Sukad (R.F.), Dhawada Village, Chotisadri Tehsil under Pratapgarh District of Rajasthan as per the prescription of the Working Plan at the cost of the User Agency;</p> <p>b. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required on the CA land, shall be deposited in advance with the Forest Department by the user agency. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;</p> <p>c. The non-forest land identified for CA shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department and subsequently notified by the State Government as RF under Section - 4 or PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act before Stage-II approval. A copy of the Notification shall be submitted along with the compliance of Stage-I approval;</p>	<p>District of Rajasthan shall be raised by the State Forest Department at the cost of the User Agency for which amount of Rs. 153.65270 Lacs & Rs. 149.54518 Lacs is deposited in CAMPA vide challan application no. 58142599922 dated 14-08-2023.</p> <p>b. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme proposed by DCF, Pratapgarh Rs. 153.65270 Lacs is deposited by us including cost of maintenance for 10 years in CAMPA fund vide challan application no. 58142599922 dated 14-08-2023 and the cost of survey, demarcation and erection of 182 number of permanent pillars on the CA land Rs. 20.02 Lacs is deposited with DCF, Pratapgarh vide demand draft no 058454 dated 14-08-2023 a copy of the same is enclosed herewith.</p> <p>c. All the three non-forest lands identified for CA are already transferred and mutated in favour of the State Forest Department proposals for notification to declare these three lands as PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927. Already prepared and submitted by DCF, Pratapgarh and recommended by CCF, Udaipur. Copy of all the three proposed Notifications enclosed herewith.</p>
VII	The KML files of diverted area and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage II approval;	To be complied by DCF, Pratapgarh.
VIII	The User Agency shall transfer the funds towards the cost of Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal in accordance with the MoEF&CC's guidelines dated 6.01.2022 readwith guidelines dated 22.03.2022;	Transfer of funds of Rs. 711.14507 Lacs towards the cost of Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal in accordance with the MoEF&CC's guidelines and demand raised by DCF, Pratapgarh is done by us in CAMPA fund vide challan application no. 58142599922 dated 14-08-2023.

C.S.

 उप वन संरक्षक
 प्रतापगढ़



 खनि अभियन्ता
 खान एवं भू-विज्ञान विभाग
 प्रतापगढ़ (राज.)


RDSA MINING LLP

 (V.K. GHIYA)
 Chief Executive Officer

IX	<p>Safety Zone Management: Following activities, at project cost, shall be undertaken by the user agency for the management of safety zone as per relevant guidelines issued by the Ministry:</p> <ol style="list-style-type: none"> User agency shall ensure demarcation of safety zone (7.5 meter strip all along the inner boundary of the mining lease area), and its fencing, protection and regeneration by erecting adequate number of 6 feet high RCC boundary pillars inscribed with DGPS coordinates with barbed wire fencing and deploying adequate number of watchers under the supervision of the State Forest Department; Boundary of the safety zone of the mining lease, adjacent to habitation/roads, should be properly fenced by the user agency; Safety zone shall be maintained as green belt around mining lease and regeneration shall be taken up in this area by the user agency at project cost under the supervision of the State Forest Department; Afforestation on degraded forest land to be selected elsewhere, measuring one and a half times the area under safety zone, shall also be done at the project cost under the supervisions of the State Forest Department. The degraded forest land (DFL) so selected will be informed to the MoEF & CC with shape files before Stage-II approval and afforestation will be done within three years from the date of Stage-II clearance and maintained thereafter in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest Department; and The State Government and the user agency shall ensure that safety zone is maintained as per the prescribed norms; 	<p>Safety Zone Management:</p> <ol style="list-style-type: none"> We will ensure demarcation of safety zone (7.5 meter strip all along the inner boundary of the mining lease area), and its fencing, protection and regeneration by erecting adequate number of 6 feet high RCC boundary pillars inscribed with DGPS coordinates with barbed wire fencing and adequate number of watchers will also be deployed under the supervision of the State Forest Department. An undertaking is enclosed herewith in this regard. Boundary of the safety zone of the mining lease, adjacent to habitation/roads, will be properly fenced by us. An undertaking is enclosed in this regard. Safety zone will be maintained as green belt around mining lease and regeneration will be taken up in this area by State Forest Department at project cost for which amount of Rs. 2.42775 Lacs is deposited in CAMPA fund vide challan application no. 58142599922 dated 14-08-2023. A degraded forest land of 4.885 Ha. (rounded off to 5.00 Ha.) measuring one and a half times the area under safety zone is selected, where afforestation will be done at the project cost and maintained thereafter in accordance with the approved Plan by State Forest Department for which an amount of Rs. 8.25 Lacs is deposited in CAMPA fund vide challan application no. 58142599922 dated 14-08-2023. Information with shape file to the MoEF&CC will be communicated by DCF, Pratapgarh We under the guidance of State Government will ensure that safety zone is maintained as per the prescribed norms. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
----	--	---

C.S.


उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़



16/8/2023


खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

RDSA MINING LLP


(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

X	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	After getting final sanction the cost to be involved in felling of trees will be deposited by us with the State Forest Department. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
XI	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA account only through e-portal (Ittos://parivesh.nic.in/). Amount deposited through other modes will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance;	1. Funds under the project as per demand raised by DCF, Pratapgarh towards CA, Additional CA, NPV, safety zone regeneration and construction of 6 ft. boundary wall in non-forest lands are deposited in CAMPA account through e-portal. Copy of challan already enclosed. 2. Funds for NFL boundary pillars is deposited with DCF, Pratapgarh as per directions of DCF, Pratapgarh.
XII	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;	Complete compliance of the FRA, 2006 is ensured and prescribed certificate issued by District Collector, Pratapgarh already submitted online by DCF, Pratapgarh in Part-II at additional document no. 16. Copy of the certificate is again submitted herewith.
XIII	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	The compliance report uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).
XIV	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	Payment of NPV already done and an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India is enclosed herewith.
XV	Trees should be felled in phased manner as per the requirement in the approved Mining Plan with prior permission of concerned DFO;	Trees will be felled in phased manner as per the requirement in the approved Mining Plan and felling plan prepared with prior permission of DCF, Pratapgarh. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
XVI	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	Although The strata of the area is rocky and translocation of trees will be difficult but after getting final approval we will explore all the possibilities of translocation of maximum number of trees. Tree felling will be done only when it is unavoidable under strict supervision of the State Forest Department. An undertaking is enclosed herewith in this regard.

C.S.

 उप वन संरक्षक
 प्रतापगढ़

16/8/2023

 खनि अभियन्ता
 खान एवं भू-विज्ञान विभाग
 प्रतापगढ़ (राज.)

RDSA MINING LLP

 (V.K. GHIYA)
 Chief Executive Officer

XVII	The User Agency shall undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan shall be executed by the User Agency from the very first year, and an annual report on implementation there of shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, in the concerned State Government and the concerned Integrated Regional Office of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the concern Regional Officer (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, such reclamation activities are satisfactorily executed;	We will undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined out area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan will also be strictly executed by us. Annual report on implementation there of will be regularly submitted to the Nodal Officer and Integrated Regional Office of the Ministry. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
XVIII	The User Agency shall comply with the Hon'ble Supreme Court order on re-grassing, and re-grass the mining area and any other areas which may have been disturbed due to mining to restore them to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna, etc. in a timely manner;	We will comply with the Hon'ble Supreme Court order on re-grassing, and re-grass the mining area and areas disturbed due to mining to restore them to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna, etc. in a timely manner. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
XIX	Period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period co-terminus with the period of the mining lease proposed to be granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as amended and the Rules framed there-under;	Will be complied with
XX	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	Already applied to the competent authority to obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 which is in progress.
XXI	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	No labour camp will be established on the forest land and we will provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site. An undertaking is enclosed herewith in this regard.

C.S.


 उप वन संरक्षक
 प्रतापगढ़


11/18/2023
 खनि अभियन्ता
 खान एवं भू-विज्ञान विभाग
 प्रतापगढ़ (राज.)

RDSA MINING LLP

 (V.K. GHIYA)
 Chief Executive Officer

XXII	The layout plan of the mining plan/ proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government and the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	Layout plan of the mining plan will not be changed without prior approval of the Central Government and the forest land will not be used for any purpose other than specified in the proposal. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
XXIII	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	Will be complied with. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
XXIV	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	No damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
XXV	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	We will ensure to submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to the Ministry by the end of March every year regularly. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
XXVI	Any other condition that the concerned Integrated Regional Office of this Ministry may stipulate, with prior approval of competent authority, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	Will be complied with. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
XXVII	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT. Order (s) pertaining to this project, it any, for the time being in force, as applicable to the project; and	Will be complied with. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
XXVIII	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	No violation of FCA will be ensured by us. An undertaking is enclosed herewith in this regard.

C.S.

 उप वन संरक्षक
 प्रतापगढ़


 खनि अभियन्ता
 खान एवं भू-विज्ञान विभाग
 प्रतापगढ़ (राज.)

RDSA MINING LLP

 (V.K. GHIYA)
 Chief Executive Officer

Ref. No. RDSA/Mines/23-24/29

Date-16.08.2023

श्रीमान,
उप वन संरक्षक महोदय
प्रतापगढ़ (राजस्थान)

विषय:— Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village- Danta, Tehsil- Pipalkhunt, Dist- Pratapgarh, Rajasthan (Proposal no-FP/RJ/MIN/142599/2021)


सन्दर्भ— आपका पत्र क्रमांक:—एफ./तक/उवसं/2021-22/4474 दिनांक 08.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र 8-04/2023 एफ सी 7.6.2023 द्वारा जारी सैदान्तिक स्वीकृति की शर्तों की पालना के क्रम में आपके सन्दर्भित पत्र में दिये गये निदेशों के अनुसार शर्त संख्या -2 VI (b), VIII, IX (c), IX (d) की पालना में पत्र की तालिका में दर्शाई गयी माग अनुसार आवश्यक धन राशि केम्पा फंड में शर्त संख्या XI के अनुरूप ई पोर्टल के माध्यम से जमा करा दी गई है। जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है

क्रम संख्या	भारत सरकार की शर्त संख्या मय विवरण	माग राशि (रूपये)	जमा की गयी राशि (रूपये)	आनलाईन चालान संख्या एवं दिनांक
1	2-VI (b) C.A. NFL -75 Ha.	1,53,65,270/-	1,53,65,270/-	58142599922 Dt 14-08-2023
2	2-VI (b) C.A. DFL -85 Ha.	1,49,54,518/-	1,49,54,518/-	
3	2-VIII NPV -74.249 Ha	7,11,14,507/-	7,11,14,507/-	
4	2-ix(c) Safety zone Regeneration in 3.237 Ha	2,42,775/-	2,42,775/-	
5	2-IX (d) Safety zone-1.5 times Afforestation in DFL 4.8555 say 5.00 Ha	8,25,000/-	8,25,000/-	
6	2-V -6 feet boundary wall NFL (habitation and agriculture fields)	92,96,250/-	92,96,250/-	

RDSA MINING LLP


(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

(The LLP is Registered with Limited Liability)



साथ ही भारत सरकार की शर्त संख्या 2-VI (b) की पालना में पत्र की तालिका में दशाई गयी माग अनुसार आवश्यक धन राशि का डिमांड ड्राफ्ट उपवन संरक्षक प्रतापगढ़ के नाम से निम्नानुसार बनाया जाकर संलग्न प्रस्तुत है।

क्रम संख्या	भारत सरकार की शर्त संख्या मय विवरण	माग राशि (रूपये)	जमा की गयी राशि (रूपये)	डीमांड ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक
1	2-VI (b) C.A. NFL -75 Ha. भूमि के सीमांकन हेतु 4 फीट ऊंचाई के 182 पीलर निर्माण हेतु आवश्यक धन राशि	20,02,000/-	20,02,000/-	058454 Dt 14-08-2023

– इसके अतिरिक्त भारत सरकार की शर्त संख्या 2-IX (a) Safety Zone Mannagement के तहत 7.50 मीटर में Safety Zone का निर्माण एवं खनिज अभियता खान एवं भू विज्ञान विभाग प्रतापगढ़ के सुपरविजन में सीमांकन रिपोर्ट के अनुरूप सीमा का निर्धारण कर 6 फीट ऊंचाई के आर सी सी पिल्लर्स के साथ कांटेदार तारों से फेंसिंग का निर्माण, तथा शर्त संख्या 2(II) एवं (III) की पालना में माही नदी की और समुचित ऊंचाई के Embankment का निर्माण एवं Embankment के सहारे 50 मीटर चौड़ाई में वृक्षारोपण के द्वारा हरित पट्टी का विकास भी यूजर एजेन्सी के स्तर पर किया जाएगा। जिस हेतु आप द्वारा 100 रूपये के स्टाम्प पर पृथक से चाहा गया शपथ पत्र भी संलग्न प्रस्तुत हैं।

– साथ ही आप के निर्देश अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगाई गयी समस्त समस्त शर्तों की पालना के क्रम में 500 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न प्रस्तुत हैं।

– बिन्दुवार समस्त अण्डरटैकिंग भी तैयार कर खान एवं भू विज्ञान विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करा कर संलग्न किये जा रहे हैं।

– इसी क्रम में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 16 (Mining) 2021/ एफसीए/ प्रमुवसं/ 6319-21 दिनांक 13.06.2023 द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति दो दैनिक समाचार पत्रों क्रमशः राजस्थान पत्रिका (हिन्दी) दिनांक 27.07.2023 एवं Times of India (अंग्रेजी) दिनांक 27.07.2023 में प्रकाशित कराई जा चुकी है। जिनकी प्रति भी संलग्न की जा रही है।


इसके अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना भी पृथक से प्रस्तुत की जा रही है।


सधन्यवाद

भवदीय

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
RDSA MINING LLP

(The LLP is Registered with Limited Liability)

AGENCY COPY	
 <small>यूनियन बैंक ऑफ इंडिया</small>	
<small>NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds</small> Date : 14-08-2023	
Agency Name.	RDSA MINING LLP
Application No.	58142599922
MoEF/SG File No.	8-04/2023-FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	A-404, Amar Villas Apartment Udaipur
Amount(in Rs)	111798320/-
Amount In Words :Eleven Crore Seventeen Lakh Ninety-Eight Thousand Three Hundred and Twenty Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508558142599922 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only 	

BANK COPY	
 <small>यूनियन बैंक ऑफ इंडिया</small>	
<small>NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds</small> Date : 14-08-2023	
Agency Name.	RDSA MINING LLP
Application No.	58142599922
MoEF/SG File No.	8-04/2023-FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	A-404, Amar Villas Apartment Udaipur
Amount(in Rs)	111798320/-
Amount in Words :Eleven Crore Seventeen Lakh Ninety-Eight Thousand Three Hundred and Twenty Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508558142599922 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only 	

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR No → IBKLR92023081400026743

RTGS done on above mentioned details



14/8/23

आदेश के खाते में
A/C PAYEE ONLY



आईडीबीआई ओमनीपे/IDBI OMNIPAY

जारी करने की तारीख से तीन महीने के लिए मान्य
VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

MUMAL TOWERS
16 SAHELI MARG UDAIPUR RAJASTHAN - 313001

Sr.No. : 58454

दिनांक DATE	1	4	0	8	2	0	2	3
	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

एह
OT
दह
TT
एला
OL
दला
TL
एक
OC
दक
TC

ON DEMAND PAY DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS PRATAPGARH

को या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES Twenty Lakh Two Thousand only

प्राप्त मूल्य के लिए

अदा करें! ₹ **20,02,000.00

खाता सं.
A/c No. 05030100010050

* Not Over INR. 20,02,000.00

अदा करें/FOR VALUE RECEIVED

के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड/For IDBI BANK LTD.

Pur: RDSA MINING LLP



Signature
802184

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Authorised Signatory
क्रम सं./Sr. No.

Signature
637552

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Authorised Signatory
क्रम सं./Sr. No.

Payable at par at all IDBI Bank Branches in India

⑈058454⑈ 000259000⑈ 005000⑈ 16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BN 928903

02 JUN 2023

शपथ पत्र

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/MIN/142599/2021 Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (plot no-01/2019) in Revenue Village- Danta, Tehsil- Pipalkhunt, Dist- Pratapgarh, Rajasthan के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र 8-04/2023 एफ सी 7.6.2023 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की पालना किये जाने के सहमति स्वरूप इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RDSA/MINES/2023-24/27 दिनांक 16.08.2023 के द्वारा प्रस्तुत किये गये पालना प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों की पुष्टि हेतु मैं विमलेश कुमार घीया पुत्र स्व. श्री कमल प्रसाद घीया उम्र 52 वर्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी RDSA MINING LLP बतौर यूजर एजेन्सी शपथ पूर्वक कथन करता


हूँ कि:-

1. शर्त संख्या 2 (i) एवं (iii) की पालना में माही नदी की और समुचित ऊँचाई के Embankment का निर्माण एवं Embankment के सहारे 50 मीटर चौड़ाई में वृक्षारोपण के द्वारा हरित पट्टी का विकास भी यूजर एजेन्सी के स्तर पर किया जाएगा।
2. शर्त संख्या 2 (ix) a की पालना में Safety Zone Management के तहत यूजर एजेन्सी द्वारा 7.50 मीटर में Safety Zone का निर्माण लीज के कुल क्षेत्रफल में किया जायेगा। Safety Zone में लीज की सीमा विवरण अनुसार 6 फीट ऊँचाई के आर सी सी पिल्लर्स के साथ काटेदार तारों से फेन्सिंग का निर्माण भी यूजर एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। जिस हेतु सीमा का निर्धारण खनिज अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग प्रतापगढ़ के सुपरविजन में सीमांकन रिपोर्ट के अनुरूप किया जायेगा।

16/8/2023

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

RDSA MINING LLP


(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer
16/08/2023

1. 100% स्टाम्प नं. 1337 श्री Rdsa mixing 3249

पिता/पति जाति उम्र

निवासी हस्त श्री इतिमिर्त

वास्तु 3142 पत्र को दिया गया। दिनांक 14/8/23

अभिभार कौता

हस्ताक्षर मुद्रांक विक्रेता
श्याम लाल जैन
लार्न-18/2012
तहसील निर्वा परिषद, उदयपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प लशि पर प्रभारित अभिभार		
1. आधारभूत आवश्यकता सुविधाओं हेतु (धारा 3-क) 10% रूपये	10	
2. बाय और खसकी नस्ल में परंपरा और संरक्षण हेतु (धारा 3-ख) प्राकृतिक आपदाओं एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण हेतु 20% रूपये	20	
	कुल योग:-	30
हस्ताक्षर स्टाम्प संपन्न श्याम लाल जैन नं-18/2012, तहसील कार्यालय गिरवापरिसर, उदयपुर		



राजस्थान RAJASTHAN

Z 878769



वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/MIN/142599/2021 Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (plot no-01/2019) in Revenue Village- Danta, Tehsil- Pipalkhunt, Dist- Pratapgarh, Rajasthan के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र 8-04/2023 एफ सी 7.6.2023 द्वारा जारी सैदान्तिक स्वीकृति की शर्तों की पालना किये जाने के सहमति स्वरूप इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RDSA/MINES/2023-24/27 दिनांक 16.08.2023 के द्वारा प्रस्तुत किये गये पालना प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों की पुष्टि हेतु मैं विमलेश कुमार घीया पुत्र स्व. श्री कमल प्रसाद घीया उम्र 52 वर्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी RDSA MINING LLP बतौर यूजर एजेन्सी शपथ पूर्वक कथन करता हु कि :-

1. शर्त संख्या 2-I की पालना सुनिश्चित की जायेगी एवं यूजर एजेन्सी के स्तर पर प्रत्यावर्तित वन भूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।
2. शर्त संख्या 2-II की पालना में माही नदी के सहारे आवश्यकतानुसार समुचित ऊँचाई के Embankment का निर्माण यूजर एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। ताकि खनन गतिविधियों से उत्पन्न मक एवं अपशिष्ट माही नदी में न जा सके।
3. शर्त संख्या 2-III की पालना में माही नदी के सहारे निर्मित किये जाने वाले Embankment के साथ- साथ 50 मीटर चौड़ाई में वृक्षारोपण कर यूजर एजेन्सी के व्यय पर हरित पट्टी विकसित की जायेगी।
4. शर्त संख्या 2-IV की पालना में खनन गतिविधियों से उत्पन्न मक का निस्तारण लीज क्षेत्र के बाहर वन भूमि अथवा चारागाह भूमि पर नहीं किया जायेगा।
5. शर्त संख्या 2-V की पालना में उपवन संरक्षक प्रतापगढ़ की मांग अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित तीनों गैर वन भूमियों की सीमा पर जहा कृषि भूमि एवं आबादी क्षेत्र लगता है वहा 6 फीट ऊँचाई की पक्की दीवार का निर्माण वन विभाग द्वारा किये जाने हेतु राशि रुपये 92,96,250 केम्पा मद में ई पोर्टल के माध्यम से चालान संख्या 58142599922 दिनांक 14.8.2023 द्वारा जमा करा दी गई है।

16/8/2023
खनि अभियन्ता
खान एवं सू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (उज.)

RDSA MINING LLP
(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

स्टाम्प नंबर 163	रुपये 500
मेसर्स / श्री / श्रीमती RDSA Mining LLP	
पिता / पति श्री Udarpur	
जाति	उम्र
निवासी	वर्ष
हस्ते श्री 2 विक्रम मोहन सो 216 मोहन	
वास्ते 216 मोहन	को दिया गया।
दिनांक 24-7-2023	
हस्ताक्षर क्रेता	हस्ताक्षर मुद्रांक विक्रेता बृज मोहन चौधरी ला0नं0 19/2016 तहसील गिर्वा परिसर, उदयपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार	
1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3.क)	50
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु (धारा 3.ख)	50
3. प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण हेतु अधिभार	50
हस्ताक्षर मुद्रांक विक्रेता बृज मोहन चौधरी ला0नं0 19/2016 तहसील गिर्वा परिसर, उदयपुर	कुल योग 150

6. शर्त संख्या 2- VI a की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित तीनों गैर भूमियो कमशः आमलखोरा 16 है, मियाला 13.5 है. एवं पहाडा 45.5 है. (कुल 75 है. में) एवं ग्राम धावडा वनखण्ड सुकड में 85 है. परिभाषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग द्वारा कराया जाएगा जिस हेतु उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ की मांग अनुसार कमशः राशि रूपये 1,53,65,270 एवं 1,49,54,518 केम्पा मद में ई पोर्टल के माध्यम से चालान संख्या 58142599922 दिनांक 14.8.2023 द्वारा जमा करा दी गई है ।
7. शर्त संख्या 2- VI b की पालना में उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तावित क्षतिपूर्ति योजना एवं माग अनुसार राशि 1,53,65,270 केम्पा मद में जमा करा दी गई है जिसमें क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के 10 वर्षों तक संधारण की राशि सम्मलित है। साथ ही क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित तीनों गैर वन भूमियो के सर्वे, एवं सीमा निर्धारण हेतु 182 सीमा स्तम्भों के निर्माण के लिये राशि रूपये 20,02,000 उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के कार्यालय में ड्राफ्ट संख्या 058454 दिनांक 14.8.2023 के माध्यम से जमा करा दी गई है।
8. शर्त संख्या 2- VI c की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमियों का राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम नामान्तरण हो चुका है एवं तीनों गैर वन भूमियो का कब्जा वन विभाग को सुपर्द किया जा चुका है। उक्त भूमियो को नियमानुसार रक्षित वन घोषित किये जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन के सम्पूर्ण प्रस्ताव उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ द्वारा तैयार कर उच्च कार्यालय को भिजवा दिये गये है, जो मुख्य वन संरक्षक द्वारा परीक्षण के पश्चात नोडल अधिकारी एफ सी ए को अग्रेषित किये जा चुके है।
9. शर्त संख्या 2- VII की पालना उप वन संरक्षक महोदय प्रतापगढ़ के स्तर से की जानी है।
10. शर्त संख्या 2- VIII की पालना में उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ की मांग अनुसार NPV की राशि रूपये 7,11,14,507 केम्पा मद में ई पोर्टल के माध्यम से चालान संख्या 58142599922 दिनांक 14.08.2023 द्वारा जमा करा दी गई है।
11. शर्त संख्या 2- IX a की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा माईनिंग लीज की परिधि में 7.50 मीटर चोडाई में सेपटी जोन का सीमांकन सुनिश्चित कर 6 फीट ऊचाई के आर सी सी पिल्लर्स फिक्स कर काटेदार तारो से फेनसिंग का निर्माण किया जाएगा, पिल्लर्स पर डी जी पी एस को-ऑर्डिनेट्स अंकित किये जाएंगे एवं आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मी भी तैनात किये जायेंगे।
12. शर्त संख्या 2- IX b की पालना में आवश्यकतानुसार खनन क्षेत्र की बाउन्ड्री पर आबादी एवं सड़क के समीप सेपटी जोन की सुरक्षा हेतु समुचित फेनसिंग का निर्माण करवाया जाएगा।
13. शर्त संख्या 2- IX c की पालना में सेपटी जोन को हरित पट्टी के रूप में विकसित करने हेतु यूजर एजेन्सी के व्यय पर पुनरुत्पादन (वृक्षारोपण) का कार्य वन विभाग द्वारा किया जाएगा जिस हेतु उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ की मांग अनुसार राशि 2,42,775 केम्पा मद में ई पोर्टल के माध्यम से चालान संख्या 58142599922 दिनांक 14.08.2023 द्वारा जमा करा दी गई है ।
14. शर्त संख्या 2- IX d की पालना में सेपटी जोन के डेढ गुना क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ द्वारा स्थल का चयन कर व्यय होने वाली राशि भी मांग की गई है जिसके कम में रूपये 8,25,000 केम्पा मद में ई पोर्टल के माध्यम से चालान संख्या 58142599922 दिनांक 14.8.2023 द्वारा जमा करा दी गई है। उक्त कार्य का क्रियानवयन एवं संधारण वन विभाग द्वारा करवाया जाएगा एवं चयनित भूमि की सूचना शेष फाइल के साथ MOEF&CC को वन विभाग के स्तर पर भिजवाई जायेगी।
15. शर्त संख्या 2- IX e की पालना में वन विभाग के दिशा निर्देशानुसार सेपटी जोन का भलि-भांति संधारण किया जाएगा।
16. शर्त संख्या 2- X की पालना में अन्तिम स्वीकृति मिलने के पश्चात वृक्षों के पातन पर होने वाले व्यय की राशि वन विभाग को जमा करवा दी जाएगी।
17. शर्त संख्या 2- XI की पालना में प्रकरण में उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ द्वारा की गई मांग के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (NFL एवं DFL) NPV सेपटी जोन एवं 6 फीट ऊचाई की पक्की दिवारों के निर्माण की राशि ई पोर्टल के माध्यम से केम्पा फंड में एवं रक्षित वन घोषित होने वाली NFL के सीमा स्तम्भों हेतु मांग अनुसार राशि उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के कार्यालय में को ड्राफ्ट संख्या 058454 दिनांक 14.08.2023 के माध्यम से जमा करा दी गई है।

16/8/2023

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (उज.)

RDSA MINING LLP

(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

18. शर्त संख्या 2- XII की पालना में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वांछित प्रमाण पत्र जिला कलक्टर महोदय प्रतापगढ़ के पत्र क्रमांक 2791 दिनांक 28.09.2022 द्वारा जारी किया जा चुका है जो उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के स्तर से पार्ट II additional Document No-16 के तौर पर मय समस्त कार्यवाही विवरणों को अपलोड कर दिया गया है।
19. शर्त संख्या 2- XIII की पालना में समस्त शर्तों की पूर्ण पालना रिपोर्ट ई पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।
20. शर्त संख्या 2- XIV की पालना में माननीय सर्वोच्च न्यायलय के निर्देशानुसार यदि कोई अतिरिक्त राशि का निर्धारण किया जाता है तो उसके भुगतान हेतु यूजर एजेन्सी वचनबद्ध है।
21. शर्त संख्या 2- XV की पालना में अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर वृक्षों का पातन स्वीकृत माईनिंग प्लान एवं आवश्यकता अनुसार उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ की स्वीकृति के पश्चात ही किया जाएगा।
22. शर्त संख्या 2- XVI की पालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का क्षेत्र यद्यपि पथरीला एवं ऊबड़-खाबड़ है तथापि क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से यथासंभव वृक्षों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के पूर्ण प्रयास किये जाएंगे एवं वृक्षों का आवश्यकतानुसार ही पातन उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ की निगरानी में किया जाएगा।
23. शर्त संख्या 2- XVII की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा खनन कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा एवं स्वीकृत माईनिंग प्लान में प्रस्तावित पुनरुद्धार गतिविधियों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाएगा जिसकी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट नोडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी महोदय को नियमित रूप से प्रेषित की जायेगी।
24. शर्त संख्या 2- XVIII की पालना में खनन क्षेत्र में Regarssing एवं वनस्पति एवं जीव जन्तुओं के विकास हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
25. शर्त संख्या 2- XIX की पूर्ण पालना यूजर एजेन्सी के स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।
26. शर्त संख्या 2- XX की पालना में पर्यावरण स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर पर आवेदन किया जा चुका है जो प्रगतिरत है।
27. शर्त संख्या 2- XXI की पालना में वन क्षेत्र में कोई लेबर केम्प स्थापित नहीं किया जाएगा तथा श्रमिकों एवं कार्यरत स्टाफ के लिए वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
28. शर्त संख्या 2- XXII की पालना में माईनिंग ले आउट प्लान में केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा एवं वन क्षेत्र का उपयोग प्रस्ताव में स्वीकृत के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जाएगा।
29. शर्त संख्या 2- XXIII की पालना में प्रत्यावर्तित भूमि किसी भी परिस्थिति में केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना किसी एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।
30. शर्त संख्या 2- XXIV की पालना में समीपवर्ती क्षेत्र की वनस्पति अथवा जीव जन्तुओं को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी।
31. शर्त संख्या 2- XXV की पालना में समस्त शर्तों को वार्षिक पालना प्रतिवेदन प्रति वर्ष मार्च के अन्त तक राज्य सरकार, क्षेत्रीय अधिकारी महोदय के कार्यालय एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाएगा।
32. शर्त संख्या 2- XXVI की पालना में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास हेतु जारी की जाने वाली किसी भी अन्य शर्त की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
33. शर्त संख्या 2- XVII की पालना में प्रकरण से सम्बन्धित सभी नियमों अधिनियमों प्रावधानों, दिशा निर्देशों एवं माननीय न्यायलयों एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों (यदि कोई हो) की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
34. शर्त संख्या 2- XVIII की पालना में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी शर्त अथवा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न हो।

M
16/9/2023

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

RDSA MINING LLP


(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District – Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021


Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION – I OF IN - PRINCIPLE APPROVAL

I Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, **RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that Legal status of the forest land will remain unchanged.

RDSA MINING LLP


(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency
Office Seal


खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

2.5
3 2
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)

RDSA MINING LLP

LLPIN : AAE - 1008



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - II OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that embankment of sufficient height will be constructed by the User Agency along the bank of the River Mahi as per requirement for prevention of muck and waste to enter into the river.

RDSA MINING LLP

**(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer**

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency
Office Seal

**खनि अभियन्ता
ज्ञान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)**

C.S.

**उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़**

(The LLP is Registered with Limited Liability)

Regd. Office : Patni Sadan, Teli Mohalla, Madanganj - Kishangarh - 305801, Dist. - Ajmer (Raj.) India

Branch Office : A-404, Amar Vilas Apartment, Opp. New R.T.O. Office, Udaipur - 313004 (Raj.) India

RDSA MINING LLP

LLPIN : AAE - 1008



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - III OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that a green belt of 50 mtr width along the embankment will be raised by us under supervision of the State Forest Department at the cost of User Agency.

RDSA MINING LLP

(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Signature of User Agency
Office Seal

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)

Regd. Office : Patni Sadan, Teli Mohalla, Madanganj - Kishangarh - 305801, Dist. - Ajmer (Raj.) India

Branch Office : A-404, Amar Vilas Apartment, Opp. New R.T.O. Office, Udaipur - 313004 (Raj.) India

RDSA MINING LLP

LLPIN : AAE - 1008



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - IV OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that muck generated from the mining activities will not be disposed on forest/charagah land outside the proposed diversion area.

RDSA MINING LLP

(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency

Office Seal

16/08/2023

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

e.s.

16/08/2023
उप वन सुरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)

Regd. Office : Patni Sadan, Teli Mohalla, Madanganj - Kishangarh - 305801, Dist. - Ajmer (Raj.) India

Branch Office : A-404, Amar Vilas Apartment, Opp. New R.T.O. Office, Udaipur - 313004 (Raj.) India



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - IX a OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that User agency will ensure demarcation of safety zone (7.5 meter strip all along the inner boundary of the mining lease area), and its fencing, protection and regeneration by erecting adequate number of 6 feet high RCC boundary pillars inscribed with DGPS coordinates with barbed wire fencing and adequate number of watchers will be deployed.

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

RDSA MINING LLP


(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Signature of User Agency
Office Seal


खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.


उप-खन संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)

RDSA MINING LLP

LLPIN : AAE - 1008



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - IX b OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that boundary of the safety zone of the mining lease, adjacent to habitation and roads, will be properly fenced by the user agency.

RDSA MINING LLP

(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency
Office Seal


खनि अभियन्ता
वन एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)

Regd. Office : Patni Sadan, Teli Mohalla, Madanganj - Kishangarh - 305801, Dist. - Ajmer (Raj.) India

Branch Office : A-404, Amar Vilas Apartment, Opp. New R.T.O. Office, Udaipur - 313004 (Raj.) India



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - IX e OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that the user agency will ensure that safety zone is maintained as per the prescribed norms.

RDSA MINING LLP


(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency
Office Seal


खनि अभियन्ता
मान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

स.स.


उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - X OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that after getting final approval the cost to be involved in felling of trees will be deposited by us with the State Forest Department.

RDSA MINING LLP

(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency
Office Seal

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - XIV OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.

RDSA MINING LLP

(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Signature of User Agency
Office Seal

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023


16/8/2023
खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)

RDSA MINING LLP

LLPIN : AAE - 1008



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - XV OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya**, CEO, **RDSA MINING LLP**, Udaipur, Raj. hereby, undertake that trees will be felled in phased manner as per the requirement in the approved Mining Plan and felling plan prepared with prior permission of DCF, Pratapgarh.

RDSA MINING LLP

(V.K. GHIYA)

Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency

Office Seal

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)

Regd. Office : Patni Sadan, Teli Mohalla, Madanganj - Kishangarh - 305801, Dist. - Ajmer (Raj.) India

Branch Office : A-404, Amar Vilas Apartment, Opp. New R.T.O. Office, Udaipur - 313004 (Raj.) India



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - XVI OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that although the strata of the area is rocky and translocation of trees will be difficult but after getting final approval we will explore all the possibilities of translocation of maximum number of trees. I also undertake that tree felling will be done only when it is unavoidable under strict supervision of the State Forest Department.

RDSA MINING LLP

(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Signature of User Agency
Office Seal

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - XVII OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that mining will be done in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan will be executed from the very first year, and annual report on implementation there of will be submitted by us to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, in the State Government and the Integrated Regional Office, Jaipur.

RDSA MINING LLP

(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Signature of User Agency
Office Seal

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

CS

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - XVIII OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that The User Agency will comply with the Hon'ble Supreme Court order on re-grassing, and re-grass the mining area and other areas which will be disturbed due to mining to restore them to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna, etc. in a timely manner.

RDSA MINING LLP

(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Signature of User Agency
Office Seal

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

16/8/2023

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

CS.
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District – Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION – XIX OF IN - PRINCIPLE APPROVAL

I Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, **RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that the period of diversion of the said forest land under this approval will be for a period of co-terminus with the period of the mining lease granted under the Mines and Minerals (Development & Regulating) Act, 1957, as amended and the Rules framed there-under.

RDSA MINING LLP



(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer


खनि अविभाजिता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency
Office Seal


उप वन संरक्षक

(The LLP is Registered with Limited Liability)



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - XXI OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that no labour camp will be established on the forest land and we will provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site.

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

RDSA MINING LLP


(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Signature of User Agency
Office Seal


खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)


उप कम संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - XXII OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that the layout plan of the mining proposal will not be changed without the prior approval of the Central Government and the forest land will not be used for any purpose other than that specified in the proposal.

RDSA MINING LLP


(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Signature of User Agency
Office Seal

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023


16/8/2023
खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.


उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - XXIII OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that the forest land proposed to be diverted will not be transferred to any other agency, department or person under no circumstances at our level without prior approval of the Central Government.

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

RDSA MINING LLP


(V.K. GHIYA)

Chief Executive Officer

Signature of User Agency

Office Seal


16/8/2023
खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.


उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - XXIV OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that no damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused by User Agency.

RDSA MINING LLP


(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Signature of User Agency
Office Seal

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023


खनि अभियन्ता
खान एवं मू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.


उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)

RDSA MINING LLP

LLPIN : AAE - 1008



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - XXV OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that the User Agency will ensure to submit the annual self -compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, Regional Office, Jaipur and to the Ministry by the end of March every year regularly.

RDSA MINING LLP


(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Signature of User Agency
Office Seal

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023


खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)


उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)

Regd. Office : Patni Sadan, Teli Mohalla, Madanganj - Kishangarh - 305801, Dist. - Ajmer (Raj.) India

Branch Office : A-404, Amar Vilas Apartment, Opp. New R.T.O. Office, Udaipur - 313004 (Raj.) India



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - XXVI OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that User Agency will comply with any other condition stipulated by Integrated Regional Office of this Ministry in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

RDSA MINING LLP


(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Signature of User Agency
Office Seal

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023


खनि अभियन्ता
ज्ञान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.


उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)

RDSA MINING LLP

LLPIN : AAE - 1008



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - XXVII OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that the user agency will ensure to comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.

RDSA MINING LLP


(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 14/08/2023

Signature of User Agency
Office Seal


खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)


उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)

Regd. Office : Patni Sadan, Teli Mohalla, Madanganj - Kishangarh - 305801, Dist. - Ajmer (Raj.) India

Branch Office : A-404, Amar Vilas Apartment, Opp. New R.T.O. Office, Udaipur - 313004 (Raj.) India



Full Title of the Project: "Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District - Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/MIN/142599/2021

Date of Proposal: 29/06/2021

Forest Area : 74.2490 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - XXVIII OF IN PRINCIPLE APPROVAL

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that no violation of any of these conditions will be ensured at the level of User Agency.

RDSA MINING LLP

(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Signature of User Agency
Office Seal

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

खानि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)

Government of Rajasthan
Office of the District Collector Pratapgarh

E-mail :- dm-pra-rj@nic.in

Phone :- 01478-222266

No :- REV/FRA-2006/2793

Dated 28-03-2022

To,

Deputy Conservator of Forest
Pratapgarh

Subject :- Regarding to RDSA Mining LLP For Opencast Marble Mining In Plot No 01/2019 and 02/2019 in Pratapgarh district in the state of Rajasthan regarding 02 NOC under Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest right) Act, 2006


Dear Sir,

Kindly refer Ministry of Environment & Forest (MoEF) government of India, New Delhi Circular No. F. No.11-9/98-FC(pt.) dated 5th July 2013 in above subject.

NOC under Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest right) Act, 2006 in form -II Prescribed by MoEF is enclosed here with for necessary action.

Enclose. as above.




(Sourabh Swami)
District Collector,
Pratapgarh

Copy to :- Please Submit all necessary document record and original record copy

1. CEO RDSA Mining LLP Patni Sadan Teli Mohlla Madanganj-Kishangarh District Ajmer Raj

FORM-II

(For projects other than linear projects and plantations)

(Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date)

Government of Rajasthan
Office of the District Collector Pratapgarh

Ref.No. २७९)

Dated 28.09.2022


TO WHOM SO EVER IT, MAY CONCERN

Incompliance of the Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that **74.2490** hectares of forest land proposed to be diverted in favors of RDSA Mining LLP for Marble Mining in the district falls within the jurisdiction of Pratapgarh village (s) **Danta** Gram Panchayat Bori-P in Peepalkhunt Tehsils. It is further certified that:

- (a) The complete process of recognition and vesting of forest rights under the FRA, 2006 has been. Carried out for the entire **74.2490** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as attachment ~~01 to 07~~ attachment.....;
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and it implications, vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha or forest-dwellers, who are eligible under the FRA, 2006;
- (c) Each of the concerned Gram Sabha(s) has certified that all for malities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. Copies of certificate issued by the Gram Sabha (s) of **Danta** Gram Panchayat Bori-P villages(s) are enclosed as attachment.....~~01~~.....to attachment.....~~07~~.....;
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a Quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabhas present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where Applicable have been specifically safeguarded as per Section 3 (I) of the FRA, 2006.

Encl.: As above.




(Sourabh Swami)
District Collector
Pratapgarh

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर (A.Tok)


प.स.प.स. नियम 44

पंचायत/ उप समिति

बोरी पी

बैच पीपलखूँट

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम
22/02	रिंगाली वाला मंडूआडे बस के नीचे दाला जाप - दाला	श्री प्रेमशंकर निनामा सरपंच	श्री ओम प्रकाश शिरा - कि. अकि. पीप कापू लाल निना का. सहायक - के. ट.
			कापू लाल निना का. सहायक - के. ट.
		श्रीमति काली देवी निनामा उपसरपंच	का. सहायक - के. ट. का. सहायक - के. ट.
			का. सहायक - के. ट. का. सहायक - के. ट.


 प्रेमशंकर निनामा
 सरपंच
 ग्राम पंचायत बोरी पी
 पं.स. पीपलखूँट जि. प्रतापगढ़ (राज.)

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ

बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

5

6

आज दिनांक 22/04/2022 को सीमान उपशासन सचिव महोदय खान (गुफ-2) विभाग जयपुर (के पत्रांक प.10(6) संकाय/गुफ-2 2019 दिनांक 12/04/2021 सं 56 कायलियुके पत्रांक 643 दिनांक-10/11/2021 सं 29 दिनांक 24/1/2022 के क्रम में / कार्यालय से पूर्व पत्रांक सं. शा.प. बोरीपी राजस्व गुण दाता के कार्ड नं. 01/2019 में 10.4162 है करीब 5.05 2019 में 74.290 है जिपपा/पत्रांक 2021-22/20 दि. 12/4/2022 के आदेशा उक्त पैसा आदि नियम के तहत गुण समार के अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में पंचायत समिति पीपलखुंड के क्रम-पत्रांक/संख्या/2022-23/66 दि. 12/4/2022 के आदेशा उक्त सीमान उक्त कार्यकारी अधिकारी महोदय के पत्रांक 20 दि. 12/4/2022 सं 29 दि. 22/11/2022 सं 643 दि. 10/11/2022 के अनुपालन में गुण पंचायत बोरीपी के राजस्व गुण दाता के कार्ड नं. 01/2019 में सं. 74.2490 है. किल्ला वन रूमि में एच.ए.ए. किसे जाने के लिये राजस्व पंचायत राज (प्र.प. सं. 2/2021) अनु. प्र. वि. सं. 2/2021 में उक्त लागू होने के सम्बन्ध में उपरोक्त आदि 1999 के तहत दाता राजस्व गुण की शा.प. सं. का आयोजन - सी. प्रेमशंकर निजाम सरपंच के अध्यक्षता में गुण सजा की गई। जिसमें सीमान विकास अधिकारी महो. के उपस्थित नहीं थे. करियरी में एवं जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

डोकल
500
~~...~~
...

...

...

...

...

...

...

...

...

प्रेमशंकर निजामा सरपंच ग्राम पंचायत बोरी पी पं.स. पीपलखुंड जि. प्रतापगढ़ (रा.)

प्रेमशंकर निजामा सरपंच ग्राम पंचायत बोरी पी

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ

बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

	6
<p>1) पूर्व ग्राम जल शोध समिति दिनांक 12/3/2022 को स्थान शिवाली वाला महुडा डे टक के नीचे की गई थी। जो उपस्थित ग्राम कारिधों की वीन पक्कर बुनाया गया।</p> <p>बद कराया गया है जल ग्राम समिति की समिति मांगे RPSA-माइनिंग रज. दल को. द्वारा स्वीकार कर ली गई। जो निम्नांकित है।</p>	<p>बापू लाल प्रभु लाल</p> <p>शक्ति लाल</p> <p>महुडा</p>
<p>1. स्थानिय गांव दातां के निवासियों के, उनकी शक्ति जो जगदिया राजगारिया जावे।</p>	<p>प्रभु लाल</p> <p>बापू लाल</p> <p>महुडा</p>
<p>2. माइंस के 74.2590 है, वन ग्राम के इलाका इसरी कोई जमाने नहीं ली जावे।</p>	<p>महुडा</p>
<p>3. माइंस का चेस्व माइंस मे ही डाला जायेगा न की बाहर कही डोर डम्प किया जायेगा।</p>	<p>हर लाल</p> <p>लाल 201</p>
<p>4. गांव दातां मे मंडल इंगेविश। माध्यम विद्यालय खोला जावे।</p>	<p>लाल 10</p>
<p>5. ग्राम दातां मे कुलिक भाला कामन्दिर बन बनाया जावे।</p>	<p>श्री लाल</p> <p>22/4/2022</p> <p>महुडा</p>
<p>6. ग्राम दातां मे ग्राम दायिक रजगारिया केन्द्र खोला जावे।</p>	<p>महुडा</p> <p>प्रमशंकर निजाम सरपंच</p> <p>ग्राम पंचायत बोरी</p> <p>महुडा</p>

प्रमशंकर निजाम सरपंच ग्राम पंचायत बोरी पी. महुडा (राज.)

ग्राम पंचायत बोरी पी. महुडा (राज.)

महुडा

प्रमशंकर निजाम सरपंच

ग्राम पंचायत बोरी

महुडा

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ

बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
7. जो मजदूर मजदूरी में काम करते हैं उनका सैलरिडिड फण्ड में अनुदान कंपनी द्वारा जमा किया जावे।	6 जि. शर्मा
8. किसी मजदूर को मजदूरी में काम करते समय किसी प्रकार का कुकुराना होना है तो उसकी मरपाई रकम व कंपनी से माह्यमस होगी।	पटल मणि दा मा
9. मजदूरों को वाइडरी में जिन परिधियों का मकान बनाना, सुड्ड का किनारा डालना आदि हो तो जिसका पूरा रूप से सुड्डाज्यादिमा जमा	गोश लक्ष्मी
10. मजदूरों के रक्मन कार्य से जो जिला-रक्मन फाउंडेशन में आ राशि जायेगी उस राशि का उपयोग गांव वालों के विकास में किया जावे।	धुमणि रमेश
11. आयुर्वेद हास्पिटल खोला जावे।	जि. शर्मा
12. पर्यटन सुड्डा कोशे से के सिरे नियमित उपाय किए जावे।	शंकरलाल पलापरिह
13. गांव वालों में सभी सरकारी मकान बनाने वालों के लिए एक विभाग की सूचि का ही उपयोग किया जावे।	शंकरलाल केशर
14. आयुर्वेद कक्ष से सुमजोव परिवारों के सुड्डा-माशाली विद्यालय के लिए माइनिंग द्वारा आयुर्वेद सहायता दी जावे।	क. ल. 5 प्रेमशंकर निनामा सरपंच ग्राम पंचायत बोरी पी स. पी. बख्त जि. प्राणगढ़ (राज.)

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ

बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

5

6

15. लड्डू की वॉर्ड 12 फीट से अधिक लंबाई पर पूर्ण रूप से कुंआजा दिभाए जावे।

P/21
वि. उ. म. व.

16. कम अधिकार समिति 2006 के तहत पेड कोट के डी डी. जमीन की शपथ की समिति में जमा होने चाहिए।

रमेश

17. उपरोक्त शपथ मांगे कल्याणी द्वारा (माइनिंग) द्वारा 5000/- पांच हजार रुपये के शपथ पत्र पर नोटेरी करवा कर डी जमा।
उपरोक्त वर्गीत सभी मांगे (कल 1-16 तक) माइनिंग द्वारा 5000/- पांच हजार रुपये के शपथ पत्र मध्य नोटेरी के पास अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का फैसला ग्राम समिति उपस्थित लोगों द्वारा सर्व सहमति से लिया गया, एवं साथ उपर कर समर्थन के साथ सर्व सहमति से अनुमोदन किया गया। अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नानुसार है।:-

संयोजक वि. उ. म. व.
क. श. व. व.
- रमेश

अनापत्ति प्रमाण पत्र :-
यह अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों) अधिनियम लागू होने के सम्बन्ध में उपान्त (अधिनियम 1999 के तहत राजस्थान अनुसूचित क्षेत्रों के विधायक नियम 2007 के नियम 11 (1) (ग) के अन्वय में ग्राम, उदार डी. स. र. माइनिंग एल. एल. पी, धारनी सदन, तेली मोहल्ल (मदन-वांग - किशन गा. जिला- अजमेर को ग्राम-

वा. ए. ए. ए.
पं. स. पी. पल्लूट, जि. प्रतापगढ़ (रा)
प्रेमशंकर निनामा सरपंच
ग्राम पंचायत बोरी पी
पं. स. पी. पल्लूट, जि. प्रतापगढ़ (रा)
प्रेमशंकर निनामा सरपंच
पंचायत बोरी पी

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ

बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

6

ग्राम पंचायत बोरी पी के राजस्व ग्राम-दालाँ केप्लार संख्या-01/2019 में क्षेत्रफल 74.2490 हे. विना वन भूमि में खसरा विधे जाने हेतु जारी किया गया है।

वाइ.पत्र, वाइ.नं. 2 ग्राम पंचायत बोरी पी पं.स.पीपलखूंट, जि.प्रतापगढ़ (राज.)

श्वान विभाग द्वारा मैसर्स डॉ. एस.ए. माइ निंग (एल.एल.पी, पादनी) सहित लेलीमदल्ला, मदन गंग-केशनगढ़ जिला अजमेर को (वन पारा स्वीकृत किया जाता है तो ग्राम पंचायत बोरी पी) को किसी प्रकार की आपत्त नही होगी।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान पंचायती राज (उपखण्डों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लालचु होने के सम्बन्ध में उपखण्ड) अधिनियम 1999 के नियम 3 (1) के तहत ग्राम वन का विधिपूर्वक आयोजन करने पश्चात् तथा सारी सुक्रिया पूरी करने के बाद जारी किया गया है।

प्रस्ताव:- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज (उपखण्डों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लालचु होने के सम्बन्ध में उपखण्ड) अधिनियम 1999 के सभी नियमों का पालन किया गया है।

प्रेमशंकर निनामा सरपंच ग्राम पंचायत बोरी पी पं.स.पीपलखूंट जि.प्रतापगढ़ (राज.)

ग्राम दालाँ तहसील-पीपलखूंट जिला-प्रतापगढ़ के राजस्व ग्राम-दालाँ के वन भूमि खसरा संख्या, 270, 271, 587/357, 588/361, 589/381, 402, 412, 413, 414, 415, 416, 420, 421, 424, 362, 376, 363, 364, 613/362, 614, 364 व 615/376 में उराने वाले कुल क्षेत्रफल 74.2490 हेक्टर वन भूमि में खसरा विधे जाने

प्रेमशंकर निनामा सरपंच ग्राम पंचायत बोरी पी प्रतापगढ़ (राज.)

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ

बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर


6


वन भूमि वन खंड में खनिज मार्बल के खनन (ओर व डोर कानिबी) हेतु एलाट संख्या 01/2019 के सम्बन्ध में ग्राम सभा में कुली चंपा डर को दित क्षेत्र के खनन कार्य हेतु दिये जाने पर सर्व सम्मति से सहमति व्यक्त की गई।

यह बि राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के सम्बन्ध में उपानवण) अधिनियम 1999 के तहत राजस्थान उपग्राम खनिज रिमायत नियम, 2017 के नियम 11(1)(ग) बि अनुपालना में मेक्स आर डी. एन. ए. माइनिंग एल, एल पी, चारनी सदन तैली मा. एल. ए. मदन गंग-किशन गढ़ जिला उनमेर को ग्राम पंचायत बोरी पी के राजस्व ग्राम दाता के एलाट संख्या-01/2019 में क्षेत्रफल 75.2590 हेक्टर पर बिस्व वन भूमि के खनन दिये जाने हेतु जारी किये गये मंशा पर सर्व प्रस्ताव ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया गया सर्व खनन कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पर जारी करमे से लिसे सर्व सम्मति से सहमति व्यक्त की गई।

उक्त परियोजना स्याई प्रकृति की होने के कारण स्थानिय नागरिकों को शैज-वार उपलब्ध होगा। जिससे इनके जीवन स्तर में सुधार होगा व ग्राम पंचायत को इस परियोजना के चलने से उतार होगा।

यह ग्राम सभा राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों के अनुसूचित क्षेत्रों-


प्रेमशुकर निनामा
सरपंच
ग्राम पंचायत बोरी पी
पं.स.पीपलखूंट जि.प्रतापगढ़ (रा)


प्रेमशुकर निनामा
सरपंच
नाकत बोरी र

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ


बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर


6

में उनके लागू होने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव 1)
अधिनियम 1999 के नियम 3(1) के तहत
विधिवत रूप से आयोजित की गई तथा सभी
प्रक्रिया एवं विधियों की पूर्ण पालना की गई।

उक्त ग्राम समाज एवं वडाचिउ
ग्राम समाज सदस्यों की उपस्थिति में
खनन परि योजना प्रस्ताव पर सुनी कर्षी
कड उक्त खनन परि योजना के प्रस्ताव को
पारित किया गया।

प्रस्ताव-2 मैसर्स आ. डी. एल. ए. माइनिंग
एल. एल. पी. पारनी लैटन टैली मोहल्ला
मध्यम गंज - किराना बाड़ जिला अजमेर के
पक्ष में वन आरक्षित क्षेत्र के निकट पतलु
गांव हला में भूखण्ड जारी किया गया है।
जिसमें वन भूमि का कुल क्षेत्रफल 742490 है
पर खनिज मार्बल के खनन (गैर वाणिज्य)
हेतु प्रस्ताव पत्र पर कर्षी गई जिसमें
ग्राम दाला लहरील पीपल खेड जिला-प्रताप
गढ़ के जे राजस्व ग्राम दाला डे वन भूमि
खण्ड संख्या. 270, 271, 587/357, 588/361
589/381, 402, 412, 413, 414, 415, 416, 420,
421, 424, 362, 376, 363, 364, 613/362,
614/364, व 615/376 में आने वाले कुल
क्षेत्रफल - 74.2490 हेक्टर वन भूमि वन
खण्ड में खनिज मार्बल खनन (गैर वाणिज्य)
हेतु लागू संख्या 01/2019 के सम्बन्ध में
ग्राम समाज में सुनी कर्षी कड विधिवत रूप
को खनन कार्य हेतु दिने जाने पर सर्व-



प्रेमशंकर निनामा
सरपंच
ग्राम पंचायत बोरी पी
पं. प्र. प्रतापगढ़ (राज.)



प्रेमशंकर निनामा
सरपंच
ग्राम पंचायत बोरी पी
पं. प्र. प्रतापगढ़ (राज.)

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ

बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

सम्मति से स्तम्भान्ति व्यक्त की गई।
 उन रक्षणों का सम्पूर्ण प्रस्ताव
 ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया गया। जिस
 पर उपलब्ध खनन योजना के इस क्षेत्र में
 स्वीकृति होने पर यहाँ विधम परिलक्षित में
 जीवन यापन कर रहे स्थानीय निवासियों
 नागरिकों के लिये आय के नये स्रोत होंगे।
 उपलब्ध खनन योजना का स्थानिय ग्राम में
 पढ़कर ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्राम-
 जन को सुनाया गया। जिस पर वन क्षेत्र पर
 आश्रित परम्परागत वनवासियों द्वारा
 सहमति व्यक्त की गई। उपलब्ध परियोजना
 स्थानिय प्रकृति की है अतः यहाँ स्थानीय
 निवासियों / नागरिकों को रोजगार उपलब्ध
 होगा। जिससे इनके जीवन स्तर में सुधार
 होगा व ग्राम पंचायत को इस परियोजना
 के चलते सै रक्षा उपाय होगा। अतः
 वन क्षेत्र सत्यापन स्वीकृति देते सभी
 सदस्यों की सहमति दर्ज की गई है।
 उपलब्ध ग्राम सभा में उपस्थित
 आश्रित ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति
 में खनन परियोजना प्रस्ताव पर चर्चा के
 उपलब्ध खनन परियोजना के प्रस्ताव को
 पारित किया गया।
 वन अधिकार उत्पत्ति नियमों
 की अनुपालना के सम्बन्ध में स्पष्ट किया
 गया है कि उपलब्ध वन क्षेत्र की सीमा में आने
 वाले गाँव के लिये सत्यापन हेतु सत्यापित
 है, इसमें अनुसूचित जन जाति को उच्च


 प्रेमशंकर निनामा
 सरपंच
 ग्राम पंचायत बोरी पी
 पंचायत नि. पंचायत (राज.)


 प्रेमशंकर निनामा
 सरपंच
 ग्राम पंचायत बोरी पी
 प.स. पीपलखूँट नि.प्र.

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ

बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

6

परम्परागत वन भिक्वाली (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत व्यापक रूप से अधिकारी के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।

वन अधिका (अधिनियम) की अनुपालना के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उस वन क्षेत्र ग्राम स्वभाव रिकार्ड एवं ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिपोर्ट की पूर्णतः जांच कर ली गई है। जिससे आधार पर कुल खसरे में वित्त व्यक्त या समुदाय के कोई भी दल अनुसूचित जन जाति को अन्य परम्परागत वन भिक्वाली (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लैकिंग आधार उपनिर्णयित नहीं है।

इस वन भूमि खसरे पर योजना हेतु उपयोग में लिया जाता है जो ग्रामवासियों एवं ग्राम समाज को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह निर्णय वन अधिका (अधिनियम) के निष्कर्ष परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि क्षेत्रफल 74.2490 हेक्टेयर ग्राम पंचायत को सौंपा है। यह सर्व आम जन को सूचित कर बुलाई गया ग्राम समाज की बैठक में लिया गया और समाज के द्वारा हस्ताक्षर किये गये। जो कि सर्व सम्मति से बंधन निम्न में दर्ज किये गये।

(Signature)
 प्रेमशंकर निनामा
 सरपंच
 ग्राम पंचायत बोरी पी
 प्र.स.पीपलखूट जि.प्रतापगढ़ (राज.)

(Signature)
 (प्रेमशंकर निनामा)
 सरपंच
 ग्राम पंचायत बोरी पी
 प्र.स.पीपलखूट जि.प्रतापगढ़ (राज.)


का.का.
 ग्राम पंचायत बोरी पी


बैठक में की गई कार्यवाहियाँ

बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

6

साथ ही राजस्व ग्राहकों के नामों की सूची
 पंचायत बोरी पी। इनका नाम राजस्व
 सशर्कार खनन विभागा के भवना।
 पत्र अन्तु शाह R.D.S.A mising LLP
 को डेनियल फार्म हेतु स्वीकृति प्रोप
 वन अग्नि रुकवा 74.2490 हे. में स्थित
 आराजी क्षेत्रों, 416, 420, 413, 414,
 415, 421, 424. वन अग्नि खसरो पर
 वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत
 दायेदार अर्थात् नारायण। किल्ली पुत्र हकक
 (2) श्री राजी/शाहदा पुत्र हकक
 (3) श्री राज मल्ल काली पुत्र मवाला एवं
 (4) सुरेश चम्पा पुत्र हकक जीणा के
 पक्ष में अधिनियम की धारा 3 (1)
 के तहत अधिकार पत्र जारी शुदा हे।
 उक्त दायेदारों को ग्राम सभा के दोरम
 मजम में आम सुना गया जिसके दौरान
 समस्त दायेदारों द्वारा राजस्व की प्रयोग
 एवं क्षेत्र के विकास हेतु अपने अधिकार
 का कतार विधिद सुआवजा/सतिकरअपवा
 पुनः स्थापन / पुनः स्थापना आधार पर
 त्याग करने पर सहमति जाहिर की गई
 उपरोक्त काम में उचित निर्णय हेतु
 प्रकरण उपखण्ड स्तरीय समिति को
 अर्पित किये जाने का निर्णय सर्वसह
 मति से लिया गया।


 प्रेमशंकर निन्सा
 सरपंच
 ग्राम पंचायत बोरी पी
 पं.स. पीपलखूंट जि.प्रतापगढ़ (राज.)


 प्रेमशंकर निन्सा
 सरपंच
 ग्राम पंचायत बोरी पी
 पं.स. पीपलखूंट जि.प्रतापगढ़ (राज.)



कार्यालय ग्राम-पंचायत बोरी पी

प. स. पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)

प्रेमशंकर निजामा

सरपंच

:- निवास

मु. पो. बोरी पी.

जि. प्रतापगढ़ (राज.)

मो. 9571075836

क्रमांक

:- ग्रा.पं. बोरी-पी / 35-37

दिनांक 25-4-22

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम 1999 के तहत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 11(1) (iii) कि अनुपालना में मैसर्स. आर डी एस ए माईनिंग एल एल पी, पाटनी सदन, तेली मोहल्ला, मदनगंज-किशनगढ़ जिला अजमेर को ग्राम पंचायत बोरी पी के राजस्व ग्राम दाता के प्लॉट संख्या- 01/2019 में क्षेत्रफल 74.2490 हैक्टेयर किस्म वन भूमि में खनन किये जाने हेतु जारी किया गया है।

खान विभाग द्वारा मैसर्स. आर डी एस ए, माईनिंग एल एल पी, पाटनी सदन, तेली मोहल्ला, मदनगंज-किशनगढ़ जिला अजमेर को खनन पट्टा स्वीकृत किया जाता है तो ग्राम पंचायत बोरी-पी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम 1999 के नियम 3 (1) के तहत ग्राम सभा दिनांक 22.04.2022 प्रस्ताव संख्या-2 के तहत जारी किया जा रहा है।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम 1999 के सभी नियमों का पालन किया गया है।

सधन्यवाद

(प्रेमशंकर निजामा)
सरपंच
ग्राम पंचायत बोरी पी
पं.स.पीपलखुंट, जि.प्रतापगढ़(राज.)

प्रमाणित
ओ.डी.
विकास अधिकारी
पंचायत बोरी पीपलखुंट
जिला प्रतापगढ़(राज.)

(जालकृष्ण शर्मा)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बोरी (पी)
पं.स.पीपलखुंट, जि.प्रतापगढ़(राज.)



कार्यालय ग्राम पंचायत बोरी पी

प. स. पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)

प्रेमशंकर निनामा
सरपंच

—: निवास
मु. पो. बोरी पी.
जि. प्रतापगढ़ (राज.)
मो. 9571075836

क्रमांक 21640 बोरी पी / 38

दिनांक 26-4-22

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

दिनांक 22.04.2022 को ग्राम पंचायत बोरी (पी), तहसील पीपलखुंट, जिला-प्रतापगढ़ ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में RDSA MINING LLP पाटनी सदन तेली मोहल्ला मदनगंज-किशनगढ़, जिला अजमेर, के पक्ष में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर विचार किया गया। RDSA MINING LLP के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.05.2021 को LOI जारी कर दी गयी है। कुल 74.2490 हैक्टेयर वन भूमि के खसरा संख्या -270,271,347,587 / 357,588 / 361,589 / 381,402,412,413,414,415,416,420,421,424,3 62,376,363,364,613 / 362,614 / 364,615 / 376 पर वनाधिकार अधिनियम 2006 के नियम 2008 की धारा 3 (1) तथा धारा 3 (2) के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावे लम्बित या प्रक्रियाधीन/विचाराधीन नहीं हैं।

ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति को ग्राम पंचायत क्षेत्र की प्रस्तावित वन भूमि में खनन पट्टों को स्वीकृत किये जाने से कोई आपत्ति नहीं है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा निर्णय लिया गया, कि वन भूमि का खनन परियोजना हेतु उपयोग किया जाता है, तो ग्रामवासियों एवं ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है।

ज-4
(बालकृष्ण गर्ग)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बोरी पी
पं.स. पीपलखुंट, जि. प्रतापगढ़ (राज.)

प्रेमशंकर निनामा
सरपंच
ग्राम पंचायत बोरी पी
पं.स. पीपलखुंट जि. प्रतापगढ़ (राज.)

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पीपलखूट जिला प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक:-राजस्व/2022/387

प्रेषिति,

दिनांक:- 5.08.2022

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,
प्रतापगढ़ (राज.)

विषय:- ग्राम केला मेला एवं दांता पं.स. पीपलखूट अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमियों पर मार्बल खनन स्वीकृति मंशा पत्र अनुसार वन भूमियों के उपयोग-उपभोग हेतु प्रत्यावर्तन/विपथन के संबंध में।

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक राजस्व/FRA-2006/विपथन/2022-23/2142-44 दिनांक 16.05.2022

महोदयजी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि दिनांक 27.07.2022 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक-2142-44 दिनांक 16.05.2022 संदर्भ बाबत-ग्राम केलामेला एवं दांता ग्राम ग्रा.पं. बोरी पी.स.पीपलखूट के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमियों पर मार्बल खनन स्वीकृति मंशा पत्र अनुसार वन भूमियों के उपयोग/उपभोग हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 319 दिनांक 25.07.2022 की अनुपालना में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक का आयोजन उपखण्ड अधिकारी पीपलखूट की अध्यक्षता में उपस्थित सदस्यों के साथ किया गया। तत्पश्चात बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही की गई-

- राज्य सरकार द्वारा पं.स. क्षेत्र पीपलखूट के अन्तर्गत RDSA MINING LLP के पक्ष में जारी मंशा पत्र अनुसार राजस्व ग्राम केला मेला ग्रा.पं. केलामेला में 10.4162 हैक्टेयर वास्ते खनिज मार्बल हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन/विपथन हेतु पाया गया कि उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर पूर्व में वनाधिकार अधिनियम 2006, के तहत किसी को भी अधिकार पत्र (पट्टा) जारी नहीं किया गया है एवं साथ ही उक्त प्रस्तावित वन भूमि में वर्तमान में वन भूमि पर इसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लम्बित अथवा अनिर्णित नहीं है। साथ ही सम्पूर्ण आवेदित वन क्षेत्र 10.4162 हैक्टेयर में किसी का रहवास नहीं है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है। शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, की धारा 3 (2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभा की इसमें सहमति है। उक्त वन भूमि में आने वाले खसरा नं., खसरा का कुल क्षेत्रफल, मंशा पत्र में पड़ने वाला क्षेत्रफल निम्नानुसार है-

क्र.सं.	खसरा नंबर	भूमि की किस्म	खसरे का कुल रकबा (है.)	LOI क्षेत्र में आने वाला कुल रकबा (है.)
1	1970	वन भूमि	15.50	8.0090
2	1988	वन भूमि	14.75	2.4072
	कुल क्षेत्रफल		30.25	10.4162

- राज्य सरकार द्वारा पं.स. क्षेत्र पीपलखूट के अन्तर्गत RDSA MINING LLP के पक्ष में जारी मंशा पत्र दिनांक 12.05.2021 के अनुसार राजस्व ग्राम दांता पं.स. बोरी पी में 74.2490 है. वास्ते खनिज मार्बल हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन/विपथन हेतु पाया गया कि उक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन/विपथन हेतु प्रस्तावित वन भूमि में वनाधिकार अधिनियम 2006, के तहत पूर्व में चार वनाधिकार पत्र (पट्टा) जारी किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल(है.)
1	नारायण/विठली हकरू	416	0.22
		420	0.22
		योग	0.44
2	रंगजी/शारदा हकरू	413	0.71
		414	0.20
		415	0.22
		योग	1.13
3	धीरजमल/काली मंगला	424	0.53

सत्य प्रतीति

प्रभारी अधिकारी कोषिण
कलेक्टर प्रतापगढ़ (राज.)

Ho


4	सुरेश/चम्पा हकरू	421	0.60
	कुल योग		2.70


उक्त चारों वनाधिकार पत्र धारकों (पट्टा धारकों) द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में खनन गतिविधियों हेतु स्वविवेक से यथायोग्य मुआवजा/प्रतिकर राशि फर्म RDSA MINING LLP से प्राप्त कर अपने-अपने अधिकार पत्र (पट्टा) उक्त फर्म के पक्ष में समर्पित कर दिये हैं। समर्पण की पुष्टी में अधिकार पत्रों एवं वनाधिकार समर्पण पत्रों की छाया प्रतियां संलग्न की गई हैं। उक्त प्रस्तावित वन भूमि में वर्तमान में वन भूमि पर इसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, के अन्तर्गत लम्बित अथवा अनिर्णित नहीं हैं। साथ ही सम्पूर्ण आवेदित वन क्षेत्र 74.2490 है, में किसी का रहवास नहीं है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, की धारा 3 (1) (e) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है। शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, की धारा 3 (2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभा की इसमें सहमति है। उपरोक्त वर्णित चारों वनाधिकारों (पट्टा धारकों) के अतिरिक्त उक्त प्रस्तावित वन भूमि 74.2490 है, पर अन्य कोई वनाधिकार पत्र (पट्टा) जारी नहीं किया गया है न ही कोई आवेदन लम्बित तथा अनिर्णित है उक्त वन भूमि में आने वाले खसरा नं. खसरों का कुल क्षेत्रफल, मंशा पत्र में पड़ने वाला क्षेत्रफल निम्नानुसार है-

क्र.सं.	खसरा नंबर	भूमि की किस्म	खसरे का कुल रकबा (है.)	LOI क्षेत्र में आने वाला कुल रकबा (है.)
1	270	वन भूमि	1.3100	0.9800
2	271	वन भूमि	0.0900	0.0450
3	347	वन भूमि	0.5000	0.3312
4	587/357	वन भूमि	0.9600	0.9600
5	588/361	वन भूमि	0.2500	0.2500
6	589/381	वन भूमि	0.3300	0.3300
7	402	वन भूमि	0.6800	0.6800
8	412	वन भूमि	2.2300	2.2300
9	413	वन भूमि	0.7100	0.7100
10	414	वन भूमि	0.2000	0.2000
11	415	वन भूमि	0.2200	0.2200
12	416	वन भूमि	0.2200	0.2200
13	420	वन भूमि	0.2200	0.2200
14	421	वन भूमि	0.6000	0.6000
15	424	वन भूमि	0.5300	0.5300
16	362	वन भूमि	5.9500	5.9500
17	376	वन भूमि	25.7500	0.1114
18	363	वन भूमि	0.9500	0.9500
19	364	वन भूमि	9.2500	3.1861
20	613/362	वन भूमि	23.0000	20.4994
21	614/364	वन भूमि	6.5000	6.5000
22	615/376	वन भूमि	33.0000	25.5459
कुल	22		113.4500	74.2490

अतः आवेदक संस्था RDSA MINING LLP के पक्ष में जिला स्तरीय नोन लिनियर प्रमाण पत्र जारी करने के अनुमोदन हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

सत्य प्रतालाप

 मंशरी अधिकारी कोपिंग
 ब्लेकटेट प्रतापगढ़ (राज.)


 उपखण्ड अधिकारी
 पीपलखूट (राज.)



राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ (राज.)

E-mail :- dm-pra-rj@nic.in

Fax No. 01478-222262

क्रमांक : राजस्व/FRA-2006/DLC/2022/2533

दिनांक :- 17.08.2022

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति बैठक कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 नियम 2008-2012 के अन्तर्गत दिनांक 16.08.2022 को जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान निम्नांकितानुसार अधिकारी पदाधिकारी मनोनित सदस्यगण उपस्थित रहें।

क्र.सं.	नाम अधिकारी/सदस्य	पद	विभाग	पदनाम
01	श्री सौरभ स्वामी	जिला कलक्टर	राजस्व/प्रशासन	अध्यक्ष
02	श्री सुनील कुमार	उप वन संरक्षक	वन विभाग	सदस्य
03	श्री जितेन्द्र मीणा	उपायुक्त	TAD	सदस्य सचिव
04	श्री पिकेश पटवा	जिला परिषद सदस्य	पंचायतीराज	मनोनीत सदस्य
05	श्रीमती अनिता मीणा	जिला परिषद सदस्य	पंचायतीराज	मनोनीत सदस्य
06	श्रीमती चम्पा देवी	जिला परिषद सदस्य	पंचायतीराज	मनोनीत सदस्य

बैठक के दौरान कार्यालय से जारी सूचना पत्र क्रमांक :- राजस्व/FRA-2006/2022/2508-21 दिनांक 08.08.2022 में विहित निम्नांकित अनुसार एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

1. वनाधिकार के तहत अस्वीकृत फाईलों की KML के संबंध में :- इस संबंध में उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में ऑफ लाईन प्रक्रिया से प्राप्त कुल 15735 व्यक्तिगत दावों में से 8749 स्वीकृत दावों के उपरान्त अस्वीकृत श्रेणी के 6986 वनाधिकार दावों में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के पास उपलब्ध रिकार्ड अनुसार KML योग्य 1322 अस्वीकृत दावों की KML File तैयार कर FSI को प्रेषित की जा चुकी है तथा 3107 अस्वीकृत दावों में आवेदित भूमि का उल्लेख नहीं पाये जाने से KML योग्य नहीं है तथा शेष 2557 अस्वीकृत वनाधिकार पत्रावलीयों के ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों स्तर से वर्ष 2009-10 के दौरान रिकार्ड संधारण के अभाव से उक्त पत्रावलीयों का संख्यात्मक आंकड़ा मात्र जिला स्तरीय समिति के पास है।

किन्तु निरस्त/अस्वीकृत पत्रावलीयां रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त निरस्त दावों की KML कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है इस संबंध में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की विगत बैठक दिनांक 28.04.2022 के दौरान भी माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित विडियो क्रांफेसिंग तथा अन्य बैठकों के दौरान आयुक्त महोदय TAD द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार उक्त 2557 मिसिंग दावों का वर्तमान संचालित अभियान में पुनः आवेदन किये जा चुके होंगे जिनका निस्तारण भी हो चुका होगा ऐसी स्थिति में उक्त 2557 पूर्व के दावों की संख्या अस्वीकृत 6986 दावों में से कम कर दिये जाने हेतु भी निर्णय लिया गया था किन्तु आदिनांक तक उक्त दावाकृत संख्यात्मक आंकड़ा TAD विभाग के रिकार्ड पर यथावत् होने से बार बार 2557 दावों के KML की मांग की जा रही है।

इस संबंध में विगत बैठक दिनांक 28.04.2022 को लिए गए निर्णय अनुसार पुनः प्रमुख शासन सचिव महोदय TAD एवं आयुक्त महोदय TAD उदयपुर को अवगत कराये जाने बाबत लिखा जाने का निर्णय भी बैठक के दौरान लिया गया।

सत्य प्रतापोप

प्रभारी अधिकारी कोषिग
कलेक्टर प्रतापगढ़ (राज.)

616

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

2. वनाधिकार अभियान प्रगति समीक्षा :- बैठक के दौरान जिले में ऑन लाईन प्रक्रिया से वर्तमान तक प्राप्त कुल व्यक्तिगत दावों 16320 में से 14071 दावे अस्वीकृत किये जा चुके हैं एवं 799 दावों के जिला स्तरीय समिति स्तर से सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है तथा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति अरनोद से वर्तमान में प्राप्त 83 दावों में से 80 दावों के स्वीकृत योग्य पाये जाने तथा 03 दावे निरस्त योग्य पाये गए हैं जिनका यथाशीघ्र सत्यापन किया जाना अपेक्षित बताया गया। इस प्रकार DLC स्तर पर वर्तमान तक 882 दावे स्वीकृत हेतु प्राप्त हुए हैं तथा अवशेष 1185 दावें ग्राम स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों के समक्ष विचाराधीन हैं जिनके यथाशीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गए। इसी प्रकार अभियान अवधि के दौरान सामुदायिक अधिकार से संबंधित प्राप्त कुल 282 दावों में से 217 दावे निरस्त हो चुके हैं तथा 65 दावे वर्तमान तक ग्राम स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों के समक्ष विचाराधीन हैं जिनके यथाशीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गए।

3. RDSA Mining LLP को तहसील क्षेत्र पीपलखुंट के राजस्व ग्राम केलामेला में 10.4162 हैक्टर तथा राजस्व ग्राम दांता में 74.2490 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन एवं विपथन हेतु नॉन लिनियर प्रमाण पत्र जारी किये जाने तथा वन भूमि के बदले गैर वन भूमियों की प्रत्यावर्तन कार्यवाही :- इस संबंध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति पीपलखुंट के पत्र क्रमांक :- राजस्व/2022/387 दिनांक 05.08.2022 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 27.07.2022 के दौरान राज्य सरकार खान (गुप-2) विभाग जयपुर द्वारा जारी मंशा पत्र क्रमांक :- प.10(6) खान/गुप-2/2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 अनुसार राजस्व ग्राम केलामेला अन्तर्गत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के अन्तर्गत जरिये प्लॉट संख्या 02/2019 क्षेत्र 10.4162 हैक्टर वन भूमि वास्ते खनिज मार्बल हेतु RDSA Mining LLP के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति हेतु LOI जारी की गई।

उक्त क्रम में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार राजस्व ग्राम आराजी संख्या 1970 रकबा 15.50 हैक्टर में से 8.0090 हैक्टर तथा आराजी संख्या 1988 रकबा 14.75 हैक्टर में से 2.4072 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 10.4162 हैक्टर वन भूमियों के संबंध में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति केलामेला द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 17.05.2022 के अनुसार उक्त भूमियों पर किन्हीं भी दावेदारों का वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 की धारा 3 (1) अथवा धारा 3 (2) के तहत कोई दावा लम्बित नहीं है और उक्त भूमियों पर किसी भी वनवासी के पक्ष में कोई वनाधिकार अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है तथा उक्त भूमियों पर कोई वनवासी निवासरत् नहीं होने के आधार पर प्रेषित प्रस्ताव अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति पीपलखुंट द्वारा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति केलामेला की सिफारिशों को स्वीकृत करते हुए जिला स्तरीय समिति के समक्ष वास्ते अनुमोदन प्रस्तुत किया गया है।

इसी प्रकार राज्य सरकार खान (गुप-2) विभाग जयपुर के मंशा पत्र क्रमांक :- प.10(6) खान/गुप-2/2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 के द्वारा जारी मंशा पत्र अनुसार राजस्व ग्राम दांता अन्तर्गत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के अन्तर्गत जरिये प्लॉट संख्या 01/2019 क्षेत्र 74.2490 हैक्टर वन भूमि वास्ते खनिज मार्बल हेतु RDSA Mining LLP के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति हेतु LOI जारी की गई उक्त क्रम में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार राजस्व ग्राम दांता की आराजी संख्या 270 रकबा 1.3100 हैक्टर में से 0.9800 हैक्टर एवं आराजी संख्या 271 रकबा 0.0900 हैक्टर में से 0.0450 हैक्टर एवं आराजी संख्या 347 रकबा 0.5000 हैक्टर में से 0.3312 हैक्टर तथा आराजी संख्या 587/357 रकबा 0.9600 हैक्टर एवं आराजी संख्या 588/361 रकबा 0.2500 हैक्टर तथा आराजी संख्या 589/381 रकबा 0.3300 हैक्टर एवं आराजी संख्या 402 रकबा 0.6800 हैक्टर एवं आराजी संख्या 412 रकबा 2.2300 हैक्टर तथा आराजी संख्या 413 रकबा 0.7100 हैक्टर एवं आराजी संख्या 414 रकबा 0.2000 हैक्टर एवं आराजी संख्या 415 रकबा 0.2200 हैक्टर तथा आराजी संख्या 416 रकबा 0.2200 हैक्टर एवं आराजी संख्या 420 रकबा 0.2200 हैक्टर एवं आराजी संख्या 421 रकबा 0.6000 हैक्टर तथा आराजी संख्या 424 रकबा 0.5300 हैक्टर एवं आराजी संख्या 362 रकबा 5.9500 हैक्टर तथा आराजी संख्या 376 रकबा 25.7500 हैक्टर में से 0.1114 हैक्टर एवं आराजी संख्या 363 रकबा 0.9500 हैक्टर एवं आराजी संख्या 364 रकबा 9.2500 हैक्टर में से 3.1861 हैक्टर तथा आराजी संख्या 613/362 रकबा 23.0000 हैक्टर में से 20.4994 हैक्टर एवं आराजी संख्या 614/364 रकबा 6.5000 हैक्टर तथा आराजी संख्या 615/376 रकबा 33.0000 हैक्टर में से 28.5459 हैक्टर कुल किता 22 रकबा 74.2490 हैक्टर वन भूमियों के संबंध में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति दांता ग्राम पंचायत बोरी -पी द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 22.04.2022 के

617

सत्य प्रतापगढ़

प्रभारी अधिकारी कोपिंग
फ्लेक्टेट प्रतापगढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

अनुसार उक्त भूमियों पर किन्हीं भी दावेदारों का वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 की धारा 3 (1) अथवा धारा 3 (2) के तहत कोई दावा लम्बित नहीं है, परन्तु राजस्व ग्राम दांता की वन भूमि आराजी संख्या 416 एवं 420 रकबा 0.44 हैक्टर भूमि का श्री नारायण/विठली हकरू को वनाधिकार पत्र मिला हुआ है तथा आराजी संख्या 413, 414, 415 रकबा 1.13 हैक्टर भूमि हेतु श्री रंगजी/शारदा हकरू के पक्ष में वनाधिकार पत्र जारीशुदा है तथा आराजी संख्या 424 रकबा 0.53 हैक्टर भूमि पर श्री धीरजमल/काली मंगला के पक्ष में वनाधिकार पत्र स्वीकृत किया हुआ है। इसी प्रकार ग्राम की आराजी संख्या 421 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि पर श्री सुरेश/चम्पा हकरू के पक्ष में जारीशुदा है। उक्त पट्टा धारकों द्वारा अपने अधिकार पत्र जरिये 500/- रुपये तादाती पृथक-पृथक स्टांप पत्रों के राजकीय पक्ष में उक्त अधिकार पत्रों का समर्पण शपथ पत्रों से कर दिया गया है। जिन्हें स्वीकार किये जाने की सिफारिश के साथ उक्त भूमियों पर किसी भी वनवासी के पक्ष में अन्य कोई वनाधिकार अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है तथा उक्त भूमियों पर कोई वनवासी निवासरत् नहीं होने के आधार पर प्रेषित प्रस्ताव अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति पीपलखुंट द्वारा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति दांता की सिफारिशों को स्वीकृत करते हुए जिला स्तरीय समिति के समक्ष वास्ते अनुमोदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में समर्पित 04 वनाधिकार पत्रों को विलोपित किये जाने के संबंध में आयुक्त महोदय जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर को स्पष्ट प्रतिवेदन भिजवाया जाकर उक्त दावों के समस्त स्तरों (SLC एवं MoTA तथा MoEF) से विलोपन कराने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार वन भूमियों के विपथन के फलस्वरूप कमी वन भूमि रकबा की क्षतिपूर्ति हेतु जिला स्तर पर गठीत फोरेस्ट लैण्ड बैंक से गैर-वन भूमियों का प्रत्यावर्तन भी निम्न प्रकार से कर दिया गया है।

क्र. सं.	विपथन हेतु प्रस्तावित वन भूमियों का विवरण				वन भूमियों की क्षतिपूर्ति हेतु प्रत्यावर्तित गैर वन भूमियों का विवरण				प्रत्यावर्तन आदेश विवरण	
	तहसील क्षेत्र	ग्राम वन भूमि	खसरा संख्या	विपथित रकबा है. में	तहसील क्षेत्र	ग्राम गैर वन भूमि	खसरा संख्या	प्रत्यावर्तित रकबा है. में		
01	पीपलखुंट	केलामेला	1970	8.0090	धरियावद	सेवानगर	68/4	10.50	जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक :- राजस्व/भू आ/2022-23/2207-13 दिनांक 31.05.2022	
02	पीपलखुंट	केलामेला	1988	2.4072						
किता 2				10.4162	किता 01				10.50	
01	पीपलखुंट	दांता	270	0.9800	धरियावद	पहाड़ा	964	4.2092	जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक :- राजस्व/भू आ/2022-23/2535-45 दिनांक 17.08.2022	
02	पीपलखुंट	दांता	271	0.0450			964/1	5.4435		
03	पीपलखुंट	दांता	347	0.3312			1457	5.9120		
04	पीपलखुंट	दांता	587/357	0.9600			1457/10	9.9846		
05	पीपलखुंट	दांता	588/361	0.2500			2070	19.9507		
06	पीपलखुंट	दांता	589/381	0.3300			मियाला	10		13.50
07	पीपलखुंट	दांता	402	0.6800		प्रतापगढ़	आमलीखोरा			
08	पीपलखुंट	दांता	412	2.2300						
09	पीपलखुंट	दांता	413	0.7100						
10	पीपलखुंट	दांता	414	0.2000						
11	पीपलखुंट	दांता	415	0.2200						
12	पीपलखुंट	दांता	416	0.2200						
13	पीपलखुंट	दांता	420	0.2200	429				0.39	
14	पीपलखुंट	दांता	421	0.6000	88				8.51	
15	पीपलखुंट	दांता	424	0.5300	89				7.10	
16	पीपलखुंट	दांता	362	5.9500						
17	पीपलखुंट	दांता	376	0.1114						
18	पीपलखुंट	दांता	363	0.9500						
19	पीपलखुंट	दांता	364	3.1861						
20	पीपलखुंट	दांता	613/362	20.4994						
21	पीपलखुंट	दांता	614/634	6.5000						
22	पीपलखुंट	दांता	615/376	25.5459						
किता 22				74.2490	किता 9				75	

सत्य प्रतीलाप

ग्रामारी अधिकारी कोपिंग
कुलेक्ट्रेट प्रतापगढ़ (राज)

618

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

(13)

उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियों अन्तर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं PESA Act 1996 नियम 2011 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में विहित प्रावधानों की अनुपालना प्रकरण में की जाने उपरान्त प्रस्तावित माईनिंग प्रकरणों को अनुमादित किया जाकर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा नॉन लिनियर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी किये जावे।

- ग्रामीण सड़क सुहागपुरा से अचलावदा T-11 0/0 KM जव 8/0 KM के मध्य आने वाले वन भूमि रकबा 4.62 हैक्टर के विपथन हेतु लिनियर प्रमाण पत्र तथा प्रत्यावर्तन कार्यवाही :- इस संबंध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति पीपलखुंट के पत्र क्रमांक :- राजस्व/2022/271 दिनांक 05.07.2022 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 05.07.2022 के दौरान अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय प्रतापगढ़ (मुख्यालय अरनोद) के पत्र क्रमांक :- 2022-23/46 दिनांक 18.04.2022 के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार Construction of Upgradation Rural road From T-11 Suhagpura to Achlawada Upto Block Border Road KM 0/0 to 8 /0 KM के मध्य आने वाली वन भूमियों क्रमशः राजस्व ग्राम पठार, कुशी, सुजानपुरा, पनावला, डांगपुरा अन्तर्गत 4.62 हैक्टर वन भूमि वास्ते वन भूमियों के संबंध में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति मोटीखेड़ी/सुहागपुरा द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 20.05.2022 के अनुसार उक्त भूमियों पर किन्हीं भी दावेदारों का वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 की धारा 3 (1) अथवा धारा 3 (2) के तहत कोई दावा लम्बित नहीं है और उक्त भूमियों पर किसी भी वनवासी के पक्ष में कोई वनाधिकार अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है तथा उक्त भूमियों पर कोई वनवासी निवासरत् नहीं होने के आधार पर प्रेषित प्रस्ताव अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति पीपलखुंट द्वारा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति मोटीखेड़ी/सुहागपुरा की सिफारिसों को स्वीकृत करते हुए जिला स्तरीय समिति के समक्ष वास्ते अनुमोदन प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त क्रम में वन भूमियों के विपथन फल स्वरूप कमी वन भूमि रकबा 4.62 की क्षतिपूर्ति हेतु जिला स्तर पर गठीत फोरेस्ट लैण्ड बैंक से गैर-वन भूमियों का प्रत्यावर्तन भी निम्न प्रकार से कर दिया गया है।

क्र. सं.	विपथन हेतु प्रस्तावित वन भूमियों का विवरण				वन भूमियों की क्षतिपूर्ति हेतु प्रत्यावर्तित गैर वन भूमियों का विवरण				प्रत्यावर्तन आदेश विवरण
	तहसील क्षेत्र	ग्राम वन भूमि	खसरा संख्या	विपथित रकबा है. में	तहसील क्षेत्र	ग्राम गैर वन भूमि	खसरा संख्या	प्रत्यावर्तित रकबा है. में	
01	सुहागपुरा	पठार	0	0.6600	छोटीसादड़ी	राजपुरा	21	5.00	जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक :- राजस्व/ भू आ/2022-23/2546-51 दिनांक 17.08.2022
02			274						
03			275						
04			276						
05			293						
06			295						
07		कुशी	207	1.0200					
08			192						
09			191						
10			154						
11			8						
12		सुजानपुरा	03	1.4300					
13			01						
14			314						
15			315						
16			366						
17			120						
18		पनावला	335	0.8600					
19			365						
20			333						
21			121						
22			122						
23			119						
24		डांगपुर	375	0.6500					
किता 24				4.6200	किता 01		5.00		

उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियों वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं PESA Act 1996 नियम 2011 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में विहित प्रावधानों की अनुपालना प्रकरण में


सत्य प्रतिलिपि


ग्रामी अधिकारी कोषिग
फ्लेक्टेट प्रतापगढ़ (राज.)


जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

की जाने उपरान्त प्रस्तावित माईनिंग प्रकरणों को अनुमोदित किया जाकर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा लिमियर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी किये जावे।

बैठक सहर्ष समाप्त की गई।


(जितेन्द्र भीणा) R.Ac.S
उपायुक्त TAd प्रतापगढ़
सदस्य सचिव
जिला स्तरीय वनाधिकार



(राजीव कुमार) IFS
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़
सदस्य
जिला स्तरीय वनाधिकार


(सौरभ स्वामी) I.A.S
जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला
स्तरीय वनाधिकार समिति,
प्रतापगढ़

प्रतिलिपी :- वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. प्रमुख शासन सचिव महोदय जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग जयपुर (राज.)
2. आयुक्त महोदय जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर (राज.)
3. उप वन संरक्षक प्रतापगढ़
4. उपायुक्त जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर (राज.)
5. उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़/अरनोद/धरियावद/छोटीसादड़ी/पीपलखुंट
6. तहसीलदार प्रतापगढ़/अरनोद/धरियावद/छोटीसादड़ी/पीपलखुंट/दलोत/सुहागपुरा
7. विकास अधिकारी प्रतापगढ़/अरनोद/धरियावद/छोटीसादड़ी/पीपलखुंट/दलोत/सुहागपुरा/धमोत्तर
8. क्षेत्रिय वन अधिकारी प्रतापगढ़/देवगढ़/धरियावद/छोटीसादड़ी/पीपलखुंट
9. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-II मुख्यालय अरनोद जिला प्रतापगढ़
10. ग्राम पंचायत केलामेला/बोरी-पी/चांदौली/सुहागपुरा/सेवानगर
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर. डी. एस. ए. माईनिंग एल.एल.पी उदयपुर
12. गार्ड फाईल

सत्य प्रतिलिपि


प्रभारी अधिकारी कोपिंग
कलेक्टर प्रतापगढ़ (राज.)



राजस्थान - सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)

E-mail :- dm-pra-rj@nic.in

Fax No- 01478-222262

क्रमांक : राजस्व/भू.आ./2022-23/2535-45

दिनांक :- 17.08.2022

--: आदेश :-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर. डी. एस. ए. माईनिंग एल.एल.पी उदयपुर के पत्र क्रमांक :- RDSA/Mines/21-22/03 दिनांक 12.07.2021 के अनुसार राजस्थान सरकार खान (ग्रुप-2) विभाग के पत्र क्रमांक :- प.10(6)खान/ग्रुप-2/2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 के द्वारा मैसर्स RDSA MINING LLP, पाटनी सदन, तेली मोहल्ला मदनगंज-किशनगढ़ जिला अजमेर के पक्ष में निर्देशक, खान एवं भू-विभान विभाग, उदयपुर के पत्र समसंख्यक पत्र क्रमांक :- निदे/प.2/प्रताप/डेलि/प्लॉट सं. 01/2019/2020/564 दिनांक 10.12.2020 एवं 376 दिनांक 31.03.2021 से तहसील क्षेत्र पीपलखुंट के निकटतम ग्राम दांता तहसील पीपलखुंट अन्तर्गत 74.2490 हैक्टर वन भूमि अन्तर्गत डेलिनियेट प्लॉट हेतु LOI जारी करने की मंशा रखती है।

उपर्युक्त वन भूमियों के बदले गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन/विपथन हेतु आवेदक संस्था द्वारा कार्यालय हाजा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध कार्यालय के पत्र क्रमांक :- राजस्व/भू.आ./2021-22/899-910 दिनांक 13.07.2021 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक :- 1620-31 दिनांक 29.09.2021 तथा पत्र क्रमांक :- 1671-81 दिनांक 14.10.2021 के द्वारा समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार प्रतापगढ़ को लिखा जाने पर उपखण्ड अधिकारी धरियावद के पत्र क्रमांक :- राजस्व/2021-22/6074 दिनांक 06.12.2021 तथा समसंख्यक पत्र क्रमांक :- राजस्व/2021-22/09 दिनांक 07.01.2022 के क्रम में तहसीलदार धरियावद के पत्र क्रमांक :- राजस्व/2022/766-68 दिनांक 04.08.2022 के द्वारा प्रस्तावित अनुसार परियोजना क्षेत्र के काम आने वाली वन भूमि रकबा 74.2490 हैक्टर के बदले निम्नांकित अनुसार गैर वन भूमियों के विपथन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे।

क्र.सं.	तहसील क्षेत्र	प्रस्तावित भूमियों का विवरण				
		राजस्व ग्राम	आराजी संख्या	कुल रकबा हैक्टर में	किस्म भूमि	प्रस्तावित रकबा हैक्टर में
01	धरियावद	पहाड़ा	964	13.6290	बिलानाम पहाड़	4.2092
02	धरियावद	पहाड़ा	964/1	6.4800	बिलानाम पहाड़	5.4435
03	धरियावद	पहाड़ा	1457	20.1852	बिलानाम पहाड़	5.9120
04	धरियावद	पहाड़ा	1457/10	17.2800	बिलानाम पहाड़	9.9846
05	धरियावद	पहाड़ा	2070	38.8800	बिलानाम पहाड़	19.9507
06	धरियावद	मियाला	10	21.6756	बिलानाम मगरी	13.50
07	प्रतापगढ़	आमलीखोरा	429/83	0.62	बंजड़	0.39
08	प्रतापगढ़	आमलीखोरा	88	14.27	मगरी	8.51
09	प्रतापगढ़	आमलीखोरा	89	11.32	मगरी	7.10
		कुल कित्ता	09		रकबा	75

उक्त क्रम में कार्यालय के पत्र क्रमांक :- राजस्व/वन भूमि/प्रत्यावर्त/2021-22/34-34 दिनांक 12.01.2022 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक :- 2117 दिनांक 28.04.2022 तथा पत्र क्रमांक :- राजस्व/भू.आ./2022-23/2500 दिनांक 03.08.2022 के द्वारा उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ को लिखा जाने पर उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के पत्र क्रमांक :- एफ./तक./उवसं./2021-22/4898 दिनांक 05.08.2022 के द्वारा वन भूमि के बदले प्रस्तावित गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम आवंटित/अन्तरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान सरकार खान (ग्रुप-2) विभाग के पत्र क्रमांक :- प.10(6)खान/ग्रुप-2/2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 के द्वारा मैसर्स RDSA MINING LLP, पाटनी सदन, तेली मोहल्ला मदनगंज-किशनगढ़ जिला अजमेर के पक्ष में निर्देशक, खान एवं भू-विभान विभाग, उदयपुर के पत्र समसंख्यक पत्र क्रमांक :- निदे/प.2/प्रताप/डेलि/प्लॉट सं. 01/2019/2020/564 दिनांक 10.12.2020 एवं 376 दिनांक 31.03.2021 से तहसील क्षेत्र पीपलखुंट के निकटतम ग्राम दांता तहसील पीपलखुंट अन्तर्गत 74.2490 हैक्टर वन भूमि अन्तर्गत डेलिनियेट प्लॉट हेतु LOI जारी करने की मंशा पत्र में वर्णित वन भूमि रकबा की क्षतिपूर्ति हेतु उपरोक्त तालिका में वर्णितानुसार 75 हैक्टर भूमियों को विभागीय परिपत्र दिनांक 08.04.2022 के अनुक्रम में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत Set Apart की जाकर उक्त भूमि रकबा Forest Land Bank में समायोजित करते हुए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत वन विभाग को वृक्षारोपण एवं वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित/विपथित/आवंटित की जाती है।

सत्य प्रतिलि

प्रभारी अधिकारी का
कलेक्टर प्रतापगढ़

जिला कलक्टर

3

तहसीलदार धरियावद/प्रतापगढ़ आरक्षित/आवंटित भूमि का भौतिक रूप से कब्जा क्षेत्र अधिकारी, रैंज धरियावद/प्रतापगढ़ को सुपुर्द कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करें व नक्शे में तरसी पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आवंटित/आरक्षित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जा सकेगा।



(Signature)

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़

दिनांक :- 17.08.2022

क्रमांक राजस्व/भू.आ./2022-23/2535-45
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़
2. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/विकास अधिकारी धरियावद/प्रतापगढ़
3. क्षेत्रिय वन अधिकारी, रैंज धरियावद/प्रतापगढ़/देवगढ़
4. ग्राम पंचायत पहाड़ा/अणत पंचायत समिति धरियावद जिला प्रतापगढ़
5. ग्राम पंचायत नारायण खेड़ा पंचायत समिति प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर. डी. एस. ए. माईनिंग एल.एल.पी उदयपुर
7. आदेश पंजिका।

(Signature)
जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़

सत्य प्रतिलिपि
(Signature)
प्रभारी अधिकारी कोपिंग
कलेक्टर प्रतापगढ़ (राज)

Ref. No. RDSA/Mines/22-23/17

सेवामें,
 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय
 प्रतापगढ़ (राजस्थान)

दिनांक :-17.09.2022

विषय:- ग्राम दांता पंचायत समिति पीपलखूट में जारी वनाधिकार पत्र राजकीय पक्ष में समर्पण करने बाबत।
 प्रसंग:- आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक : राजस्व/FRA-2006/DLC/2022/2533 दिनांक 17.08.2022 महोदय,


प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित ग्राम दांता की वन भूमि के 74.249 हैक्टर में से 2.70 हैक्टर भाग में 4 स्थानीय ग्राम वासियों को वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 अन्तर्गत जिलास्तरीय समिति द्वारा उक्त वन भूमि हेतु अधिकार पत्र जारी किये गये थे जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं	नाम	खंसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1	नारायण/विठली हकरू	416	0.22 है.
		420	0.22 है.
		योग	0.44 है.
2	रंगजी/शारदा हकरू	413	0.71 है.
		414	0.20 है.
		415	0.22 है.
		योग	1.13 है.
3	धीरज मल/काली मंगला	424	0.53 है.
4	सुरेश/चम्पा हकरू	421	0.60 है.
		कुल योग	2.70 है.


उक्त चार अधिकार पत्र धारकों ने प्रस्तावित क्षेत्र में खनन गतिविधियों हेतु यथा योग्य मुआवजा/प्रतिकर राशि फर्म से प्राप्त कर अपने अधिकार पत्र समर्पित कर दिये है।

पूर्व में जारी अधिकार पत्रों एवं अधिकार समर्पण पत्रों की मूल प्रतिया संलग्न प्रस्तुत है।

RDSA MINING LLP


 (V.K. GHIYA)
 Chief Executive Officer

भवदीय


 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 RDSA MINING LLP

(The LLP is Registered with Limited Liability)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

₹. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

RS. 500

सत्यमेव जयते

INDIAN NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

अधिकार समर्पण शपथ पत्र

Serial No 7858 R 632503

Date : 25/5/2022

हम नारायण पुत्र श्री हकरू उम्र 49 वर्ष एवं विठली पत्नि नारायण उम्र 53 वर्ष जाति भील निवासी मुकाम दांता तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़ (राज.) शपथ पूर्वक कथन करते हैं कि :-

1. यह कि राजस्व ग्राम दांता ग्राम पंचायत बोरी पटवार हल्का बोरी तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़ (राज.) वन खण्ड गमरगढ़-पानडिया की वन भूमि आराजी संख्या 416 रकबा 0.22 हैक्टर एवं आराजी संख्या 420 रकबा 0.22 हैक्टर कुल रकबा 0.44 हैक्टर भूमि का हमें और हमारे परिवार को अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के तहत वनाधिकार नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के नियम 8 (ज) के तहत उक्त वन भूमि के अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए कृषि हेतु हक जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, प्रतापगढ़ द्वारा "उपाबंध-2" में जरिये आदेश क्रमांक :- 10/2688 दिनांक 15.12.2009 को प्रदान किया गया है।

उक्त अधिकार पत्र अनुसार हम और हमारा परिवार उक्त वन भूमि के दिनांक 13.12.2005 से पूर्ववत् अनुसूचित अधिभोग अनुसार उपभोग निर्विवादित रूप से करते चले आ रहे हैं।

हमारे द्वारा हमारा अधिभोगित भूमि के संबंध में राज्य सरकार प्रस्तावित योजना अनुसार उक्त वन भूमि का अन्य उपयोग करना चाहती है जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। उक्त वन भूमि के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हमारे द्वारा आदिनांक तक किए गए समस्त व्यय राशियों के बदले प्रतिकर स्वरूप वर्तमान प्रचलित विधियों के अनुसार नियत राशि प्रदान करा दी गई है जिससे हम पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हैं। अतः उक्त अधिकार पत्र राज्यहित में समर्पित करते हैं।

दिनांक :- 25/5/2022

नारायण

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

सत्यापन

हम नारायण पुत्र श्री हकरू उम्र 49 वर्ष एवं विठली पत्नि नारायण उम्र 53 वर्ष जाति भील निवासी मुकाम दांता तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़ (राज.) सत्यापन करते हैं कि :-

1. यह कि हमारे द्वारा प्रस्तुत समर्पण शपथ पत्र के पैरा 1 से लगायत अन्त तक वर्णित समस्त कथन हमारी निजी जानकारी से सत्य एवं सही है। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो हम स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

Sworn & Thumb Before Me
Hence Attested

Sworn & Signed Before Me
Hence Attested

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

NIRAJ KUMAR JAIN, Advocate
Notary Public (Govt. of India)
GAHTOL, BANSWARA (RAJ.)

NIRAJ KUMAR JAIN, Advocate
Notary Public (Govt. of India)
GAHTOL, BANSWARA (RAJ.)

नारायण

2012/11
एनएफ
दाता - प्रभाकर
2012/11/11
उद्योग

बराजी

स्वाम्य राशि पर प्रयोजित अविभार	
1. आधारभूत आवश्यकता सुविधाओं हेतु (धारा 3-क)-10% रुपये	SD
2. माय और उसकी मरुत के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-घ) / प्राकृतिक आपदाओं से निवारण हेतु - 2000 रुपये	100
सं. नं. - 10/05	हस्ताक्षर स्वाम्य राशि



18

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जिला - प्रतापगढ़ (राज0)

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता))
(नियम 2008 का नियम 8 (ज) देखें)
अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

दिनांक - 15/12/09

रजि.स./राजस्व/व.अ./पीपलखुंट / 10/

वन अधिकारों के धारकों के नाम (पति या पत्नी सहित) नारायण-विठली

पिता/माता का नाम हकरू

आश्रितों के नाम

जाति अजजा

ग्राम व मूल्य दांता

ग्राम पंचायत बोरी

तहसील पीपलखुंट

वनखण्ड पानडिया


खसरा न० व क्षेत्रफल जिसमें से वनाधिकार दिये जाने हैं (प्रमुख सीमाचिन्ह इलादि)

खसरा का नाम	खसरा न.	कुल रकबा (हे०)	वनाधिकार प्राप्त रकबा(हे०)
दाता	416	0.22	0.22
	420	0.22	0.22
	कुल वनाधिकार प्राप्त रकबा(हे०)		0.44

यह हक दाय योग्य है, किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है।

हम अधोहस्ताक्षरी, राजस्थान सरकार के लिये और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिये हस्ताक्षर करते हैं।


उप परियोजना अधिकारी
जन जातीय क्षेत्रिय विभाग
प्रतापगढ़


उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़


जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

RS. 500

INDIAN NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

राजस्थान RAJASTHAN

अधिकार समर्पण शपथ पत्र

Serial No. 2660 R/ 632501
Date: 25/5/2022

हम रंगजी पुत्र श्री हकरु उम्र 48 वर्ष एवं शारदा पत्नि रंगजी उम्र 56 वर्ष जाति भील निवासी मुकाम दांता तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ (राज.) शपथ पूर्वक कथन करते हैं कि :-

- यह कि राजस्व ग्राम दांता ग्राम पंचायत बोरी पटवार हल्का बोरी तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ (राज.) व खण्ड गमरगढ-पानडिया की वन भूमि आराजी संख्या 413 रकबा 0.61 हैक्टर, आराजी संख्या 414 रकबा 0.2 हैक्टर एवं आराजी संख्या 415 रकबा 0.22 हैक्टर कुल रकबा 1.03 हैक्टर भूमि का हमें और हमारे परिवार व अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 1 के तहत वनाधिकार नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के नियम 8 (ज) के तहत उक्त वन भूमि के अधीन वन भूमि के लिए कृषि हेतु हक जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, प्रतापगढ द्वारा "उपाबंध-आदेश क्रमांक :- रजि.सं./राजस्व/व.अ./पीपलखुंट/10/2716 दिनांक 15.12.2009 को प्रदान किया गया है।

उक्त अधिकार पत्र अनुसार हम और हमारा परिवार उक्त वन भूमि के दिनांक 13.12.2005 से पूर्णतः अनुसार उपभोग निर्विवादित रूप से करते चले आ रहे हैं।

यह कि हमारे द्वारा अधिभोगित भूमि के संबंध में राज्य सरकार प्रस्तावित योजना अनुसार उक्त वन भूमि का प्रयोजन हेतु उपयोग करना चाहती है जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। उक्त वन भूमि के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मेरे द्वारा आदिनांक तक किए गए समस्त व्यय राशियों के बदले प्रतिकर स्वरूप वर्तमान प्रचलित विधि अनुसार नियत राशि प्रदान करा दी गई है जिससे हम पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हैं। अतः उक्त अधिकार पत्र राज्यहित में समर्पित करते हैं।

(Signature)
हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

दिनांक :- 25/5/2022

सत्यापन

हम रंगजी पुत्र श्री हकरु उम्र 48 वर्ष एवं शारदा पत्नि रंगजी उम्र 56 वर्ष जाति भील निवासी मुकाम दांता तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ (राज.) सत्यापन करते हैं कि :-

- यह कि हमारे द्वारा प्रस्तुत समर्पण शपथ पत्र के पैरा 1 से लगायत अन्त तक वर्णित समस्त कथन हमारे द्वारा सत्य एवं सही है।

Sworn & Thumb Before Me
Hence Attested

Sworn & Signed Before Me
Hence Attested

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

दिनांक :- 25/5/2022

NIRAJ KUMAR JAIN, Advocate
Notary Public (Govt. of India)

(Signature)



दिनांक:
स्थान:
संख्या:

२०१२।
एनके
दाता - यशपाल
संनर गाम,
उज्जैन

श्री ग. जी

राजस्थान स्वाम्य अधिनियम 1998 के अंतर्गत
स्वाम्य राशि पर प्रभाविता अधिभार

1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु
(धारा 3-क) - 10% अल्प SD
2. गाय और उसकी भस्म के संरक्षण और संवर्धन हेतु
(धारा 3-ख) / प्राकृतिक आपदाओं से निमित्त
आपदाओं के निवारण हेतु - 2% अल्प 100

ला. नं. - 10/05 152
हस्ताक्षर स्वाम्य अधिकारी (Signature)

(D)

उपाबंध 2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

जिला - प्रतापगढ़ (राज०)

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता))
(नियम 2008 का नियम 8 (ज) देखें)
अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

दिनांक - 15/12/07

रजि.स./राजस्व/व.अ./पीपलखुंट / 10/2716

वन अधिकारों के धारकों के नाम (पति या पत्नि सहित) रंगजी-शारदा

पिता/माता का नाम

हकरू

आश्रितों के नाम

जाति

अजजा

ग्राम व पता

दांता

ग्राम पंचायत

बोरी

तहसील

पीपलखुंट

वनखण्ड

पानडिया

खसरा न० व क्षेत्रफल जिसमें से वनाधिकार दिये जाने हैं (प्रमुख सीमाचिन्ह इत्यादि)

गाँव का नाम	खसरा न	कुल रकबा (हे०)	वनाधिकार प्राप्त रकबा(हे०)
दांता	413	0.71	0.61
	414	0.20	0.20
	415	0.22	0.22
	कुल वनाधिकार प्राप्त रकबा(हे०)		1.03

यह हक दाय योग्य है, किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है।

हम अधोहस्ताक्षरी, राजस्थान सरकार के लिये और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिये हस्ताक्षर करते हैं।

उप परियोजना अधिकारी
जन जातीय क्षेत्रिय विभाग
प्रतापगढ़

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़



(E)

राजस्थान RAJASTHAN

अधिकार समर्पण शपथ पत्र

Serial No 4097 R-632860

Date : 15/7/2022

हम सुरेश मईडा पुत्र श्री हकरू मईडा उम्र 51 वर्ष एवं चम्पा देवी मईडा पत्नी सुरेश मईडा उम्र 52 वर्ष जाति भील निवासी इकाम दांता तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ (राज.) शपथ पूर्वक कथन करते हैं कि :-

1. यह कि राजस्व ग्राम दांता ग्राम पंचायत बोरी पटवार हल्का बोरी तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ (राज.) वन खण्ड गमरगढ-पानडिया की वन भूमि आराजी संख्या 421 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि का हमें और हमारे परिवार को अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के तहत वनाधिकार नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के नियम 8 (ज) के तहत उक्त वन भूमि के अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए कृषि हेतु हक जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, प्रतापगढ द्वारा "उपाबंध-2" के तहत आदेश क्रमांक :- रजि.सं./राजस्व/व.अ./पीपलखुंट/10/3970 दिनांक 15.12.2009 को प्रदान किया

कि उपर्युक्त अधिकार पत्र अनुसार हम और हमारा परिवार उक्त वन भूमि के दिनांक 13.12.2005 से पूर्ववत् अधिभोग अनुसार उपभोग निर्विवादित रूप से करते चले आ रहे हैं।
द्वारा अधिभोगित भूमि के संबंध में राज्य सरकार प्रस्तावित योजना अनुसार उक्त वन भूमि का अन्य उपयोग करना चाहती है जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। उक्त वन भूमि के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हमें द्वारा आदिनांक तक किए गए समस्त व्यय राशियों के बदले प्रतिकर स्वरूप वर्तमान प्रचलित विधियों के अनुसार नियत राशि प्रदान करा दी गई है जिससे हम पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हैं। अतः उक्त अधिकार पत्र राज्यहित में समर्पित करते हैं।



दिनांक :- 15/7/2022

[Signature]
हस्ताक्षर

चम्पा
हस्ताक्षर

सत्यापन

हम सुरेश मईडा पुत्र श्री हकरू मईडा उम्र 51 वर्ष एवं चम्पा देवी मईडा पत्नी सुरेश मईडा उम्र 52 वर्ष जाति भील निवासी इकाम दांता तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ (राज.) सत्यापन करते हैं कि :-

1. यह कि हमारे द्वारा प्रस्तुत समर्पण शपथ पत्र के पैरा 1 से लगायत अन्त तक वर्णित समस्त कथन हमारी निजी जानकारी से सत्य एवं सही है।

Sworn & Signed before me
Hence Attested

दिनांक :- 15/7/2022

NIRAJ KUMAR JAIN, Advocate
Notary Public (Govt. of India)
GANTOL BANSKARA (RAJ.)

[Signature]
हस्ताक्षर

[Signature]
हस्ताक्षर

विशाल सेविया, स्टाम्प वेण्डर, अनुज्ञा पत्र सं. B08/2020

रजिस्टर नं संख्या 1468 दिनांक 15/07/2022

मुद्रांक वेल्ड व क्रम संख्या 500/-

मुद्रांक क्रेता का नाम सुरेश मर्डंडा

पिता/प्रति का नाम हंकरु मर्डंडा कोराह

पता 5 दाता तं पीपलखुट

प्रायोजन आदि कार सामुदायिक शोधपत्र

हस्ते क्रय की दशा में हस्ते का नाम पता

क्रेता हस्ते के हस्ताक्षर मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर

(Handwritten signature)

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभाविता अधिभार	
1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3-क)-10% रुपये	50
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख) प्राकृतिक आपदाओं एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण हेतु-20% रुपये	100
कुल योग	150
हस्ताक्षर	स्टाम्प वेण्डर



उपाबंध 2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

जिला - प्रतापगढ़ (राज0)

(F)

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता))
(नियम 2008 का नियम 8 (ज) देखें)
अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

दिनांक - 15.12.07

रजि.स./राजस्व/व.अ./पीपलखुंट / 10/3970

वन अधिकारों के धारकों के नाम (पति या पत्नि सहित) सुरेश-चम्पा

पिता/माता का नाम हकरू

आश्रितों के नाम

जाति अजजा

ग्राम व पता दांता

ग्राम पंचायत बोरी

तहसील पीपलखुंट

वनखण्ड पानडीया

खसरा न0 व क्षेत्रफल जिसमें से वनाधिकार दिये जाने हैं (प्रमुख सीमाचिन्ह इत्यादि)

गाँव का नाम	खसरा न.	कुल रकबा (है0)	वनाधिकार प्राप्त रकबा(है0)
दांता	421	0.60	0.60
	कुल वनाधिकार प्राप्त रकबा(है0)		0.60

यह हक दाय योग्य है, किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है।

हम अधोहस्ताक्षरी, राजस्थान सरकार के लिये और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिये हस्ताक्षर करते हैं।

उप परियोजना अधिकारी
जन जातीय क्षेत्रिय विभाग
प्रतापगढ़

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

RS. 500

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

राजस्थान RAJASTHAN

Serial No 3009 R 632581

Date : 30/5/2022

अधिकार समर्पण शपथ पत्र

हम धीरजमल पुत्र श्री मंगला उम्र 64 वर्ष एवं काली पत्नि धीरजमल उम्र 53 वर्ष जाति भील निवासी मुकाम दांता तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ (राज.) शपथ पूर्वक कथन करते हैं कि :-

1. यह कि राजस्व ग्राम दांता ग्राम पंचायत बोरी पटवार हल्का बोरी तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ (राज.) वन खण्ड गमरगढ-पानडिया की वन भूमि आराजी संख्या 424 रकबा 0.53 हैक्टर भूमि का हमें और हमारे परिवार को अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 4(1) के तहत वनाधिकार नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के नियम 8 (ज) के तहत उक्त वन भूमि के अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए कृषि हेतु हक जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, प्रतापगढ द्वारा "उपाबंध-2" के तहत आदेश क्रमांक :- रजि.सं./राजस्व/व.अ./पीपलखुंट/10/2717 दिनांक 15.12.2009 को प्रदान किये गये हैं।

उक्त अधिकार पत्र अनुसार हम और हमारा परिवार उक्त वन भूमि के दिनांक 13.12.2005 से पूर्वक उक्त वन भूमि के अधिभोग निर्विवादित रूप से करते चले आ रहे हैं। हमारे द्वारा अधिभोगित भूमि के संबंध में राज्य सरकार प्रस्तावित योजना अनुसार उक्त वन भूमि का अनुसूचित जाति के लोगों के उपयोग करना चाहती है जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। उक्त वन भूमि के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हमारे द्वारा दिनांक तक किए गए समस्त व्यय राशियों के बदले प्रतिकर स्वरूप वर्तमान प्रचलित विधियों के अनुसार नियत राशि प्रदान करा दी गई है जिससे हम पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हैं। अतः उक्त अधिकार पत्र राज्यहित में समर्पित करते हैं।

धीरजमल

काली

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

दिनांक :- 30/5/2022

सत्यापन

हम धीरजमल पुत्र श्री मंगला उम्र 64 वर्ष एवं काली पत्नि धीरजमल उम्र 53 वर्ष जाति भील निवासी मुकाम दांता तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ (राज.) सत्यापन करते हैं कि :-

1. यह कि हमारे द्वारा प्रस्तुत समर्पण शपथ पत्र के पैरा 1 से लगायत अन्त तक वर्णित समस्त कथन हमारी निजी जानकारी से सत्य एवं सही है। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो हम स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

Sworn & Signed Before Me
Hence Attested

दिनांक :- 30/5/2022

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

NIRAJ KUMAR JAIN, Advocate

धीरजमल

काली

मुद्रांक केतु का नाम
 पिता/माता का नाम
 पता
 प्रायोजक
 हस्त लेख की भाषा में हस्त-का नाम पता
 हस्त/माता के हस्ताक्षर
 मुद्रांक विज्ञान के हस्ताक्षर

स्टाम्प राशि पर प्रभाविता आएगी

1. आधारभूत अवसरधन संचयन हेतु (पारा 3-क)-10/05
2. नगर और उसकी नगर की ... और संवर्धन (पारा 3-ख/क) ...

6 रुपये 100
 10/05
 157

(11)

उपाबंध 2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

जिला - प्रतापगढ़ (राज0)

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता))
(नियम 2008 का नियम 8 (ज) देखें)
अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

दिनांक - 15/12/09

रजि.स./राजस्व/व.अ./पीपलखुंट / 10/2717

वन अधिकारो के धारको के नाम (पति या पत्नि सहित) धीरजमल-काली

पिता/माता का नाम मंगला

आश्रितों के नाम

जाति अजजा

ग्राम व पता दांता

ग्राम पंचायत बोरी

तहसील पीपलखुंट

वनखण्ड पानडिया

खसरा न0 व क्षेत्रफल जिसमें से वनाधिकार दिये जाने है (प्रमुख सीमाचिन्ह इत्यादि)

गाँव का नाम	खसरा न.	कुल रकबा (हे0)	वनाधिकार प्राप्त रकबा(हे0)
दांता	424	0.53	0.53
	590/425	1.70	0.43
	कुल वनाधिकार प्राप्त रकबा(हे0)		0.96

यह हक दाय योग्य है, किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है।
हम अधोहस्ताक्षरी, राजस्थान सरकार के लिये और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिये हस्ताक्षर करते है।

उप परियोजना अधिकारी
जन जातीय क्षेत्रिय विभाग
प्रतापगढ़

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 15, बुधवार, शाके 1945-सितम्बर 06, 2023
Bhadra 15, Wednesday, Saka 1945- September 06, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 29, 2023

संख्या प. 2(24)वन/2023 :-चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में बतलाई गई वनभूमि अथवा बंजरभूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वनउपज या उसके किसी भाग की हकदार हैं। और चूंकि सरकार पंचायत भूमि और बंजरभूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है:

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जाँच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम, संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्वारा, वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन, जहाँ तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा:

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाए गए कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर

निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,

शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण	
					खसरा नम्बर	रकबा हे० में
1	2	3	4	5	6	
1	आमलीखोरा रेंज-देवगढ़	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	ग्राम- आमलीखोरा	453/88	7.0200 हे.
					454/88	1.4600 हे
					455/88	0.0300 हे.
					457/89	6.6500 हे.
					458/89	0.4500 हे.
					461/439	0.3900 हे.
					योग	16.00 हेक्टर
उत्तर:- कृषि भूमि खसरा नम्बर 88/547,88/552,88/556 पूर्व :- गैर वन भूमि मौजा आमलीखोरा खसरा नं. 89 दक्षिण:- गैर वन भूमि मौजा आमलीखोरा खसरा नम्बर 83 एवं 88, कृषि भूमि खसरा नम्बर 130 ,89/520 मौजा आमलीखोरा पश्चिम:- गैर वन भूमि मौजा आमलीखोरा खसरा नम्बर 84एवं 88,						

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)

उप वन संरक्षक,

प्रतापगढ़

द्वितीय अनुसूची

वनखण्ड - आमलीखोरा ग्राम - आमलीखोरा
 रेंज - देवगढ़ तहसील - प्रतापगढ़
 वन मण्डल - प्रतापगढ़ जिला - प्रतापगढ़

क्र.सं.	नाम प्रजाति (स्थानीय)	नाम प्रजाति (बोटैनिकल)
1	सागवान	<i>Tectona grandis</i> Linn.
2	तेंदू/टिमरू	<i>Diospyros melanoxylon</i> Roxb.
3	कसोद	<i>Cassia siamea</i> Linn
4	आंवल छाल	<i>Cassia auriculata</i>
5	शीषम	<i>Dalbergia sissoo</i> Roxb.
6	बांस	<i>Dendrocalamus strictus</i>
7	चुरेल	<i>Holoptelea integrifolia</i> Planch
8	आंवला	<i>Emblica officinalis</i> Gaerth
9	नीम	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.
10	ईमली	<i>Tamarindus indica</i> Linn.
11	करंज	<i>Pongamia pinnata</i> Linn.
12	बैर	<i>Zizyphus oenoplia</i>
13	बहेड़ा	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaerth) Roxb.
14	ढाक	<i>Butea monosperma</i>

क्षेत्रीय वन अधिकारी
 धरियावद

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)
 उप वन संरक्षक,
 प्रतापगढ़

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र

(जो लागू नहीं होता है उसे काट दे)

वनखण्ड - आमलीखोरा ए ग्राम - आमलीखोरा

रेंज - देवगढ़ तहसील - प्रतापगढ़

वन मण्डल - प्रतापगढ़ जिला - प्रतापगढ़

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण मगरी पायती है उक्त भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रत्यावर्तन प्रकरण Open cast marble mining कार्य हेतु जिला/वनमंडल प्रतापगढ़ में कुल 74.249 हे० वनभूमि प्रत्यावर्तन (आन लाईन आवेदन संख्या- FP/RJ/MIN/142599/2021) के प्रकरण में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि का आवंटन जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक राजस्व/भूआ/प्रत्यावर्तन/2022-23/2535-45 दिनांक 17.08.2022 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया गया। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरो का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा विकास कार्य कराया जाना है। इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है। क्षेत्र को रक्षित वन घोषित कराना प्रस्तावित है।
3. वर्तमान में 16.00 है। भूमि पर प्लान्टेशन एवं अन्य विकास कार्य कराये जाने है इनमें कोई खनन कार्य नहीं हुए है। भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।
4. भूमि पर वृक्षों का धनत्व कुछ क्षेत्र में औसतन 0.3 है तथा कुछ क्षेत्र में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियां सागवान, तेंदु, ढाक,कसोद, बांस, आंवला, चुरेल, शीशम, नीम इत्यादि प्राकृतिक रूप से विद्यमान है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र राजस्व बंजर (राजस्व बंजर/चरागाह/खातेदारी/वन) - भूमि है तथा चारो ओर की सीमाओ का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम 5 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे संलग्न हे एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओ, सीमाओ एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को राजस्व नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र की जी.टी. शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

7. प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे हैं किन्तु अब उल्लेखित वनक्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट का प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिसके कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
देवगढ़

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 15, बुधवार, शाके 1945-सितम्बर 06, 2023
Bhadra 15, Wednesday, Saka 1945- September 06, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 29, 2023

संख्या प. 2(24)वन/2023 :-चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में बतलाई गई वनभूमि अथवा बंजरभूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वनउपज या उसके किसी भाग की हकदार हैं। और चूंकि सरकार पंचायत भूमि और बंजरभूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है:

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जाँच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम, संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्वारा, वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन, जहाँ तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा:

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाए गए कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर

निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,

शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

सं ख्या	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण	
					खसरा नम्बर	रकबा हे० में
1	2	3	4	5	6	
1	मियाला रेंज- धरियावद	धरियावद	प्रतापगढ़	ग्राम-मियाला	142/10	13.50 हे.
				उत्तर:- खसरा नम्बर: 10/1 ग्राम मियाला पूर्व :- खसरा नम्बर: 10 ग्राम मियाला दक्षिण:- खसरा नम्बर: 10/37,10/39 एवं ग्राम मियाला पश्चिम:- खसरा नम्बर: 10 ग्राम मियाला		

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)

उप वन संरक्षक,

प्रतापगढ़

द्वितीय अनुसूची

वनखण्ड - पहाडा ग्राम - पहाडा
रेंज - धरियावद तहसील - धरियावद
वन मण्डल - प्रतापगढ़ जिला - प्रतापगढ़

क्र.सं.	नाम प्रजाति (स्थानीय)	नाम प्रजाति (बोटैनिकल)
1	सागवान	Tectona grandis Linn.
2	तेंदू/टिमरू	Diospyros melanoxylon Roxb.
3	आंकडिया	Holorrhena antidysenterica
4	चुरेल	Holoptelea integrifolia Planch
5	आंवला	Emblica officinalis Gaerth
6	नीम	Azadirachta indica A.Juss.
7	ईमली	Tamarindus indica Linn.
8	करंज	Pongamia pinnata Linn.
9	बैर	Zizyphus oenoplia
10	ढाक	Butea monosperma

क्षेत्रीय वन अधिकारी
धरियावद

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र

(जो लागू नहीं होता है उसे काट दे)

वनखण्ड - मियाला ग्राम - मियाला
 रेंज - धरियावद तहसील - धरियावद
 वन मण्डल - प्रतापगढ़ जिला - प्रतापगढ़

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण मगरी पायती है उक्त भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रत्यावर्तन प्रकरण Open cast marble mining कार्य हेतु जिला/वनमंडल प्रतापगढ़ में कुल 74.249 हे० वनभूमि प्रत्यावर्तन (आन लाईन आवेदन संख्या- FP/RJ/MIN/142599/2021) के प्रकरण में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि का आवंटन जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक राजस्व/भूआ/प्रत्यावर्तन/2022-23/2535-45 दिनांक 17.08.2022 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया गया। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरो का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा विकास कार्य कराया जाना है। इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है। क्षेत्र को रक्षित वन घोषित कराना प्रस्तावित है।
3. वर्तमान में 13.50 है। भूमि पर प्लान्टेशन एवं अन्य विकास कार्य कराये जाने है इनमें कोई खनन कार्य नहीं हुए है। भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।
4. भूमि पर वृक्षों का धनत्व कुछ क्षेत्र में औसतन 0.3 है तथा कुछ क्षेत्र में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियां सागवान, तेंदु, ढाक,कसोद, बांस, आंवला, चुरेल, शीशम, नीम इत्यादि प्राकृतिक रूप से विद्यमान है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र राजस्व बंजर (राजस्व बंजर/चरागाह/खातेदारी/वन)- भूमि है तथा चारो ओर की सीमाओ का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम 5 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे संलग्न हे एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओ, सीमाओ एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को राजस्व नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र की जी.टी. शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

7. प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे हैं किन्तु अब उल्लेखित वनक्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट का प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिसके कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
धरियावद

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 15, बुधवार, शाके 1945-सितम्बर 06, 2023
Bhadra 15, Wednesday, Saka 1945- September 06, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 29, 2023

संख्या प. 2(24)वन/2023 :-चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में बतलाई गई वनभूमि अथवा बंजरभूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वनउपज या उसके किसी भाग की हकदार हैं। और चूंकि सरकार पंचायत भूमि और बंजरभूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है:

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम, संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्वारा, वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन, जहाँ तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा:

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाए गए कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि

को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,

शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण	
					खसरा नम्बर	रकबा हे0 में
1	2	3	4	5	6	
1	उपलाकोट रेंज- धरियावद	धरियावद	प्रतापगढ़	ग्राम-पहाडा	2257/964	4.2092
					2258/964	5.4435
					2255/1457	5.9120
					2252/1457	9.9846
					2248/2070	19.9507
					योग	45.5 हेक्टर
<p>उत्तर:- गैर वन भूमि खसरा नम्बर: 964 एवं 1457</p> <p>पूर्व :- गैर वन भूमि खसरा नम्बर: 964,2070 एवं खातेदारी भूमि 2070/2, 2070/3 ,2070/5, 2070/6 एवं 2070/16</p> <p>दक्षिण:- गैर वन भूमि खसरा नम्बर: 2070,2070/7 एवं 2070/17</p> <p>पश्चिम:- गैर वन भूमि खसरा नम्बर: 964 एवं 1457</p>						

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)

उप वन संरक्षक,

प्रतापगढ़

द्वितीय अनुसूची

वनखण्ड - उपलाकोट ग्राम - पहाडा
 रेंज - धरियावद तहसील - धरियावद
 वन मण्डल -प्रतापगढ़ जिला - प्रतापगढ़

क्र.सं.	नाम प्रजाति (स्थानीय)	नाम प्रजाति (बोटैनिकल)
1	सागवान	<i>Tectona grandis</i> Linn.
2	तेंदू/टिमरू	<i>Diospyros melanoxylon</i> Roxb.
3	कसोद	<i>Cassia siamea</i> Linn
4	आंवल छाल	<i>Cassia auriculata</i>
5	शीषम	<i>Dalbergia sissoo</i> Roxb.
6	बांस	<i>Dendrocalamus strictus</i>
7	चुरेल	<i>Holoptelea integrifolia</i> Planch
8	आंवला	<i>Emblica officinalis</i> Gaerth
9	नीम	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.
10	ईमली	<i>Tamarindus indica</i> Linn.
11	करंज	<i>Pongamia pinnata</i> Linn.
12	बैर	<i>Zizyphus oenoplia</i>
13	बहेड़ा	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaerth) Roxb.
14	ढाक	<i>Butea monosperma</i>

क्षेत्रीय वन अधिकारी
 धरियावद

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)
 उप वन संरक्षक,
 प्रतापगढ़

**प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र
(जो लागू नहीं होता है उसे काट दे)**

वनखण्ड - उपलाकोट ग्राम - पहाडा
रेंज - धरियावद तहसील - धरियावद
वन मण्डल -प्रतापगढ़ जिला - प्रतापगढ़

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण मगरी पायती है उक्त भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रत्यावर्तन प्रकरण Open cast marble mining कार्य हेतु जिला/वनमंडल प्रतापगढ़ में कुल 74.249 हे0 वनभूमि प्रत्यावर्तन (आन लाईन आवेदन संख्या-FP/RJ/MIN/142599/2021) के प्रकरण में क्षर्तिपुरक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि का आवंटन जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक राजस्व/भू.आ/प्रत्यावर्तन/2022-23/2535-45 दिनांक 17.08.2022 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया गया। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरो का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा विकास कार्य कराया जाना है। इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है। क्षेत्र को रक्षित वन घोषित कराना प्रस्तावित है।
3. वर्तमान में 45.50 है। भूमि पर प्लान्टेशन एवं अन्य विकास कार्य कराये जाने है इनमें कोई खनन कार्य नहीं हुए है। भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।
4. भूमि पर वृक्षों का धनत्व कुछ क्षेत्र में औसतन 0.3 है तथा कुछ क्षेत्र में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियां सागवान, तेंदु, ढाक,कसोद, बांस, आंवला, चुरेल, शीशम, नीम इत्यादि प्राकृतिक रूप से विद्यमान है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र राजस्व बंजर (राजस्व बंजर/चरागाह/खातेदारी/वन)- भूमि है तथा चारो और की सीमाओ का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम 5 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे संलग्न हे एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओ, सीमाओ एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को राजस्व नक्शे में लाल स्याही से

इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र की जी.टी. शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

7. प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे हैं किन्तु अब उल्लेखित वनक्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट का प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिसके कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।

8. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
देवगढ़

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

Dev's long struggle: Menial jobs in Delhi to waiter in China

Kalyan.Das@timesgroup.com

Dehradun: Dev Raturi, who has made it big in the Chinese film industry, was born into a farmer family in Tehri Garhwal and learned karate in India. On the lookout for an opportunity to go to China for further training, Raturi did menial jobs in Delhi for a decade to support his family back home before managing to get a job as a waiter in an Indian restaurant in Shenzhen, China, in 2005.



A still from a Chinese feature film in which Dev Raturi acted

"While working as a waiter in the restaurant for a monthly salary of Rs 10,000, I gained proficiency in Mandarin. My dream of getting trained in martial arts kept me up

at night. However, my hopes were shattered after the locals there told me that for further training I need to go to the Shaolin Temple, a renowned monastic institution recognised as

the birthplace of Chan Buddhism and the cradle of Shaolin Kung Fu, which I couldn't afford," said Raturi, a class 12 dropout.

He added, "I had no option but to persevere. I worked hard for the next seven years and rose to the rank of manager at a high-end restaurant. In 2013, I managed to open my own restaurant, Red Fort, in Xi'an. I've based it on India's rich cultural heritage."

As luck would have it, Raturi met a Chinese director who had come to eat at his place one day in 2017. He was offered a small role in a TV series named SWAT. It worked. Since then, he's acted in over 85 Chinese films and TV serials, including

popular ones like 'My Roommate is a Detective' in which he has a prominent role. Raturi owns eight restaurants in China today. "My work in Chinese cinema helped me become a popular face. I have received immense love from locals who helped me during the Covid-19 pandemic. They have adopted me as their own," said Raturi who lives in Xi'an with his wife Anjali and two sons, Arav, 11, and nine-year-old Arnav.

But Raturi's native Uttarakhand remains close to his heart. He has brought over close to 150 unemployed men from his village to China, giving them jobs and opportunities.

Millet can help prevent lifestyle diseases: Mantri

'Production To Boost Revival Of Traditional Food Habits'

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Adding millets in the diet not only helps in preventing lifestyle diseases but its production links good health and farmers' welfare while reviving traditional food habits, minister of state for agriculture Kailash Choudhary said on Tuesday.



Minister of state for agriculture Kailash Choudhary (centre) with ITC official S Sivakumar (left) and Manju Kumar, chief postmaster general of Delhi circle, during the release of a special stamp commemorating the International Year of Millets, in New Delhi on Tuesday

The minister was speaking at the release of a postal stamp on millets by India Post. Commemorating International Year of Millets, the exclusive postal stamp celebrates millets and the nation-

Minister of state for agriculture Kailash Choudhary said that post millet mission, farmers have started gradually reaping the benefits, and in coming years with increased demand and exports, these will only increase

TIMES VIEW: The dryland grains are being rightly promoted as nutritious smart food. Jowar, a millet, is also resilient enough to withstand global warming, a major threat to the world. Of late, the government has strongly engaged in millet advocacy. The key point is ensuring that there's proper linkage between production, distribution and consumption of the grains. Only then will Mission Millet be successful.

Millet's project. Priyal Bhardwaj, CEO and founder of Sangini Saheli, along with farmers from Maharashtra and Madhya Pradesh were felicitated for their work during the event. The minister also spoke on the Centre's initiatives in 'Shree Anna' promotion and being the largest producer and second largest exporter of millets in the world. Choudhary said that post millet mission, the farmers have started gradually reaping the benefits and in coming years with increased demand and exports, these will only increase.

have to introduce millets in our diet, which has been our traditional food," he added. The stamp was released by Choudhary in the presence of Manju Kumar, chief postmaster general, department of post, and S Sivakumar, group head, agribusiness, ITC Limited. The stamp was brought out in collaboration with ITC, which is encouraging millet farming and consumption in the country through its ITC Mission

Sunil Sharma, deputy director general, India Post, said: "The customised stamp marks a milestone in this journey to mainstream and restore world's superfood - millets not only nationally but also globally. It is a momentous occasion and brings to bear the collective effort of the nation."

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LIMITED... E-TENDER & EOI NOTICE

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED... NOTICE INVITING BID

SMART CITY THIRUVANANTHAPURAM LIMITED... E-TENDER NOTICE

Petronet LNG Limited... GLOBAL NOTIFICATION FOR HIRING OF CONSULTANT FOR SOURCING AND CHARTERING OF FSRU FOR LNG TERMINAL AT GOPALPUR

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA... MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

Government of India... Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division)

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA... MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE... Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department

Government of India... Ministry of Environment, Forest and Climate Change... Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department

Heavy rains claims 4 lives in Tgana... Heavy rains claimed the lives of at least four people in Telangana since Monday. Two girls were washed away in a stream on Tuesday.

NORTH WESTERN RAILWAY... NOTICE OF INVITING E-TENDER SIGNAL & TELECOMMUNICATION DEPARTMENT

NORTH WESTERN RAILWAY... TENDER NOTICE

NORTH WESTERN RAILWAY... E-TENDER NOTICE

NORTH WESTERN RAILWAY... E-TENDER NOTICE

NORTH WESTERN RAILWAY... E-TENDER NOTICE

wide efforts to raise awareness about the 'super food'.

The minister said if we have to reduce the number of hospitals, we need to include 'Shree Anna' (millets) in our food.

"To all farmers, bring out your best efforts to get 'Shree Anna' to our thalis (plates). If we want to get rid of lifestyle diseases, we

Health ministry sources said the government has stopped the production of drugs at 31 firms and cancelled or suspended the product licenses of 50 firms on finding non-adherence to

Days after 3 tonnes of tomatoes went missing at Nepal border, 4 customs officials suspended

Lucknow: Nineteen days after three tonnes of tomatoes that were being smuggled into India from Nepal were seized by the Maharashtra police and Sashastra Seema Bal (SSB) in a joint operation, four officials of the customs department were suspended on Tuesday.

It is alleged that the tomatoes were released by the customs officials only to be intercepted and nabbed by police once again. Later, customs officials at the Lucknow headquarters were informed about this. Customs commissioner, Lucknow, Aarti Saxena, on Tuesday told TOI that as per their preliminary probe, four department officials posted in the border area have been suspended after they were found prima-facie guilty of lapses which led to the release of the tomatoes.

379 of 89k drug samples found spurious, RS told

New Delhi: Out of the 88,844 drug samples tested between April 2021 and March 2022, more than 2,500 were 'not of standard quality', while 379 have been found to be 'spurious', junior health minister Bharati Pravin Pawar told Rajya Sabha in response to a Parliament question.



TIMES VIEW: There's nothing worse than a patient dying or suffering due to substandard or spurious medicine. The tested samples show that roughly 3.2% of drugs were either 'not of standard quality' or 'spurious'. This is a staggeringly high percentage and should be a cause for concern at the highest level.

In his written reply, Pawar said 592 prosecutions were launched for manufacturing, sale and distribution of spurious or adulterated drugs between April 2021 and March 2022, as per information received from drug controllers of various states and Union territories.

The action is result of a nationwide inspection of drug manufacturing units identified to be at the risk of manufacturing 'not of standard quality' being carried out by drug regulatory bodies in the backdrop of recent

controversies over alleged adulteration in certain products, the sources said.

KARNATAKA INDUSTRIAL AREAS DEVELOPMENT BOARD (A Government of Karnataka Undertaking)

NOTICE INVITING TENDER (Through GOK Karnataka Public Procurement Portal Only)